भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-310

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

सौभाग्य के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन

***310. श्री सौमित्र खान:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना- (सौभाग्य) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में जिला-वार कुल कितने घरों में विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में सौभाग्य के कार्यान्वयन की गति मों तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में सभी ग्रामीण घरों में कब तक विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"सौभाग्य के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 310 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ग) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करते हुए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की थी। सौभाग्य स्कीम के शुरूआत से पश्चिम बंगाल में कुल 7,32,290 घर विद्युतीकृत किए गए थे। पश्चिम बंगाल राज्य ने सूचित किया है कि राज्य में 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल राज्य में विद्युतीकृत किए गए घरों के जिला-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल सहित सौभाग्य के कार्यान्वयन की गति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुार हैं:

(i) कार्यक्रम को शीघ्र शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों में सौभाग्य, कार्यनीति सूत्रीकरण कार्यशालाओं का शुभारंभ।

(ii) बड़े पैमाने पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और मौके पर पंजीकरण के लिए गाँवों/गाँवों के समूह में, जहाँ जन प्रतिनिधि (विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान) हों, कैम्पों की स्थापना करना ।

(iii) सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण के लिए 14,270 करोड़ रुपये की अवसंरचना समर्थन-अतिरिक्त अवसंरचना, भारत सरकार द्वारा राज्यों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया।

(iv) संचार योजना, 24*7 'एक राष्ट्र एक नंबर' टोल-फ्री हेल्पलाइन 1912 1800-121-5555, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विशेष अभियान 'सौभाग्य रथ' और सभी मीडिया विकल्प जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर आदि)

(v) कार्यान्वयन के तरीके में राज्यों के लिए लचीलापन (विभागीय/टर्नकी/अर्ध-टर्नकी)।

(vi) एक व्यापक वेब पोर्टल 'saubhagya.gov.in' विकसित किया गया और डिस्कॉमों को दिन-प्रतिदिन की निगरानी के लिए पोर्टल पर प्रगति के अद्यतन के लिए पहुँच प्रदान की गई।

(vii) लक्ष्यों को पूरा करने हेतु शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) के साथ समन्वय।

(viii) अपेक्षित दक्षता के साथ पर्याप्त कुशल जनशक्ति की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए, कार्यबल के प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ समन्वय।

(ix) परियोजनाओं की निगरानी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए 350 से अधिक इंजीनियरों अर्थात ग्राम विद्युत अभियंताओं (जीवीए) की नियुक्ति की गई थी।

(x) हेलीकॉप्टर और भारतीय रेलवे के समर्थन ने आवश्यक सामानों को अज्ञात भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(xi) राज्यों और वितरण यूटीलिटियों के साथ सरकार के सभी स्तरों पर निगरानी और समीक्षा।

****

अनुबंध

"सौभाग्य के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 310 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में विद्युतीकृत घरों के राज्य-वार ब्यौरे

जिला	**विद्युतीकृत घरों की संख्या**
बांकुरा	24415
बर्धमान	65767
बीरभूम	36859
कूच बिहार	35043
दक्षिण दिनाजपुर	6828
दार्जिलिंग	10434
हुगली	41692
हावड़ा	27827
जलपाईगुड़ी	17130
मालदा	32871
मुर्शीदाबाद	54433
नादिया	51631
उत्तरी 24 परगना	61078
पश्चिम मेदिनीपुर	21901
पूर्व मेदिनीपुर	33407
पुरुलिया	52234
दक्षिणी 24 परगना	144401
उत्तर दिनाजपुर	14339
कुल	**7,32,290**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3470
जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

बी.ई.ई. का क्षेत्रीय कार्यालय

3470. श्री के. सुब्बारायण:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि ब्यूरो ऑफ इनर्जी ईफिशिएंसी (बी.ई.ई.) को अपने विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए राज्य-नामित एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए क्षेत्रीय कार्यालयो और स्टाफ की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाने के प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य नामित अभिकरणों (एसडीएज) के साथ केंद्र में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना का प्रावधान है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 3(4) के अनुसार, बीईई भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है। बीईई की बढ़ती हुई भूमिका और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, बीईई की शासी परिषद ने समुचित कर्मचारियों के साथ बीईई के पुनर्गठन की अनुसंशा की है।

(ग) : उपरोक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3474

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

को-फायरिंग बायोमास पेलेट्स के लाभ

3474. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग बायोमास पैलेट्स के क्या लाभ हैं;

(ख) क्या देश भर में ताप विद्युत संयंत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए बायोमास पैलेटों की पर्याप्त आपूर्ति की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या हैं जहां पहले से ही को-फायरिंग बायोमास पेलेट हैं;

(घ) क्या भविष्य में बायोमास ताप विद्युत संयंत्रों में पूरी तरह से कोयले की जगह ले सकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : ताप विद्युत स्टेशनों (टीपीएस) में बायोमास को-फायरिंग के निम्नानुसार अनेक लाभ हैं:

i. विद्युत उत्पादन में कोयला उपयोग की मात्रा में कमी जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में समरूपी बचत होती है। इससे क्षेत्रों की कोयला निर्भरता में कमी आएगी।
ii. संसाधन (बायोमास), जो पहले व्यर्थ हो रहा था, से विद्युत का उत्पादन होगा।
iii. किसानों हेतु आयोत्पादन और पैलेट्स विनिर्माताओं द्वारा रोजगार सृजन।
iv. मृदा प्रकृति का संरक्षण जो खेतों में आग से नष्ट हो जाती है।
v. पराली जलाने में कमी के कारण वायु प्रदूषण में कमी।

(ख) : देशभर में, टीपीएस में 5% को-फायरिंग के लिए मांग को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लागू सरकारी नीति और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए विविध शुरूआतों से, निकट भविष्य में पैलेट/ब्रिकेट विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) : अभी तक लगभग 23 ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग बायोमास पैलेट्स हैं। अभी तक लगभग 66,000 मीट्रिक टन (एमटी) बायोमास की को-फायरिंग की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) : वर्तमान शुरूआतों के अनुसार, बायोमास पैलेट्स को कोयले के साथ को-फायर करने का लक्ष्य है। कोयले के साथ बायोमास का मिश्रण ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की निर्भरता को कम करेगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3482

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युतीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन

3482. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा के बोलांगीर और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में विद्युतीकरण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त जिलों में इन पर योजना-वार और कार्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इन जिलों में कितने घरों और बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है;

(घ) क्या उक्त जिलों के कई गांवों में अब भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त जिलों में विद्युत अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो उक्त जिलों में सभी के लिए बिजली सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देश भर में कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और गांवों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 28 अप्रैल, 2018 तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्रमशः बोलांगीर और जलपाईगुड़ी जिलों सहित देश भर में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत हो गए हैं।

ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्रमशः बोलांगीर और जलपाईगुड़ी जिलों सहित देश में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरु की।

उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा वितरण क्षेत्र के आईटी सक्षमीकरण के उद्देश्य से दिसंबर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) भी शुरू की गई थी।

ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में जारी की गई निधियों के स्कीम-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : डीडीयूजीजेवाई, XIIवीं योजना और सौभाग्य के अंतर्गत, ओडिशा के बोलांगीर जिले में, 140034 घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 14,218 घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बोलांगीर और जलपाईगुड़ी जिले के सभी गैर-विद्युतीकृत आवासित जनगणना गांव विद्युतीकृत हो गए हैं।

(ङ) और (च) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से अपनी वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण भी करती है।

हाल ही में, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से, "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - एक सुधार-आधारित और परिणाम संबद्ध स्कीम" अनुमोदित की है। इस स्कीम का उद्देश्य एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को वर्ष 2024-25 तक शून्य तक लाना है। यह देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी योगदान करेगी।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3482 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वितरण स्कीमों के अंतर्गत निधियों की स्कीम-वार निर्मुक्ति

(करोड़ रुपये में)

जिला	**योजना**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
ओडिशा	डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त अवसंरचना	166.63	66.65	19.41
	सौभाग्य	168.407	-	-
	आईपीडीएस	286	128.4	22.41
पश्चिम बंगाल	डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त अवसंरचना	-	-	-
	सौभाग्य	73.2	20.3	15.9
	आईपीडीएस	71.06	620.66	429.2

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3492

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

रिवर्स पम्पड स्टोरेज परियोजना

3492. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अपर सिलेरु, विशाखापट्टम में रिवर्स पंप स्टोरेज हाइड्रो परियोजना में तीस प्रतिशत वित्तीय सहायता देने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : परियोजना वर्तमान में योजना स्तर पर है। परियोजना प्रस्तावक लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्त मंत्रालय की व्यावहार्यता अंतराल निधियन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता ले सकते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3497

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

'सौभाग्य' योजना का कार्यान्वयन

3497. श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश के सभी घरों में बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-'सौभाग्य' को कार्यक्रम और लक्ष्यों के अनुसार लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) योजना के तहत उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित राज्य-वार कितने लाभार्थी परिवारों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या उक्त योजना में बिजली को खरीदने और ग्रामीण परिवारों द्वारा बिजली बिलों का भुगतान करने में असमर्थता जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई प्रावधान शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस योजना में बड़े पैमाने पर अवैध विद्युत कनेक्शनों की समस्या के समाधान हेतु कोई प्रावधान हेतु कोई प्रावधान शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(च) उक्त योजना के तहत कितनी अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता है; और

(छ) भविष्य में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने देश में मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरु की। दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी घरों में विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। तदोपरांत, सात राज्यों अर्थात असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि, दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर, जो

पहले अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य के शुभारंभ से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 11.84 लाख घर संस्वीकृत किए गए हैं जिसके निमित्त 4.34 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तद्नुसार, आज तक की स्थिति के अनुसार, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई-नवीन के अंतर्गत शामिल किए गए घरों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने हाल ही में सौभाग्य से पहले दिनांक 31.03.2019 से पूर्व अभिचिन्हित शेष गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए दिशानिर्देश तथा तंत्र जारी किये हैं।

(घ) : इस स्कीम के अंतर्गत, सभी गैर-विद्युतीकृत गरीब घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं जबकि गरीब-इतर घरों के लिए, डिस्कॉमों/विद्युत विभागों द्वारा बाद के विद्युत बिलों में दस समान किश्तों में लाभार्थी से 500 रुपये की राशि वसूली जाती है। विद्युत खपत का बिल उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। टैरिफ निर्धारण उपयुक्त विनियामक के अनुमोदन से संबंधित राज्य के कार्य-क्षेत्र में आता है।

(ङ) : चूंकि सौभाग्य में चोरी रोकने के प्रावधान शामिल नहीं हैं, अतः शुरू की गई नई वितरण क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत, निधि निर्मुक्ति को नुकसान के उपायों से जोड़कर हानि में कमी के लिए राज्य/डिस्कॉमों को प्रोत्साहित किया जाता है। यह स्कीम डिस्कॉमों को एरियल बंच्ड केबल्स तथा हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली और प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सहित हस्तक्षेपों के साथ हानि में कमी के लिए वितरण अवसंरचना सृजित करने की अनुमति देती है।

(च) और (छ) : सौभाग्य के अंतर्गत नए घरों को कनेक्शन सहित मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त संस्थापित क्षमता है। दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 203 गीगावाट की औसत व्यस्ततम मांग सहित संस्थापित उत्पादन क्षमता 395.6 गीगावाट है जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

भावी मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. देश में कुल 28,460 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

ii. इस समय, देश में कुल 12,663.5 मेगावाट की 36 वृहत् जल-विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) हैं जो कार्यान्वयनाधीन हैं। इनमें से, कुल 11,427.5 मेगावाट की 27 परियोजनाएं सक्रिय रूप से निर्माणाधीन हैं।

iii. 8700 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन हैं और 7,000 मेगावाट क्षमता की परमाणु विद्युत परियोजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3497 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से घरों का राज्यवार विद्युतीकरण/डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त संस्वीकृति और उपलब्धि

सौभाग्य की मूल संस्वीकृति				सौभाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त संस्वीकृतियों की अनुमति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर					कुल जोड़
क्रम सं.	राज्यों के नाम	पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	संपूर्ण प्रमाणपत्र की तारीख	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक विद्युतीकृत सूचित किए गए घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर	डिस्कॉम	संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत निधि (करोड़ रु. में)	संस्वीकृत घर	दिनांक 07.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धि	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930		0	181,930						181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	12-मार्च-19	0	47,089	एपीडीए	02.08.2021	39.3	7859	0	47,089
3	असम	1,745,149	24-जनवरी-19	200,000	1,945,149	एपीडीसीएल	13.07.2021	1718.19	480249	381507	2,326,656
4	बिहार	3,259,041	25-अक्तूबर-18	0	3,259,041						3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397	17-अगस्त-21	40,394	789,791	सीएसपीडीसीएल	02.08.2021	82.85	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317		0	41,317						41,317
7	हरियाणा	54,681	7-दिसंबर-18	0	54,681						54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	30-नवंबर-18	0	12,891						12,891
9	जम्मू और कश्मीर	377,045	27-अक्तूबर-18	0	377,045						377,045
10	झारखंड	1,530,708	26-दिसंबर-18	200,000	1,730,708						1,730,708
11	कर्नाटक	356,974	31-जनवरी-19	26,824	383,798						383,798
12	लद्दाख	10,456	27-अक्तूबर-18	0	10,456						10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	22-अक्तूबर-18	0	1,984,264	एमपीपीओकेवीवीसीएल	02.08.2021	264.4	99722	0	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922	27-दिसंबर-18	0	1,517,922						1,517,922
15	मणिपुर	102,748	20-दिसंबर-18	5,367	108,115	एमएसपीडीसीएल	02.08.2021	100.98	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	24-जनवरी-19	0	199,839	विद्युत विभाग	02.08.2021	35.05	7009	488	200,327

17	मिजोरम	27,970	24-नवंबर-18	0	27,970						27,970
18	नागालैंड	132,507	18-दिसंबर-18	0	132,507	विद्युत विभाग	13.07.2021	2.1	420	401	132,908
19	ओडिशा	2,452,444	31-दिसंबर-18	0	2,452,444						2,452,444
20	पुद्दुचेरी*	912		0	912						912
21	पंजाब	3,477	13-दिसंबर-18	0	3,477						3,477
22	राजस्थान (जयपुर)	1,862,736	16-अक्तूबर-18	212,786	2,075,522	एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल	13.07.2021	1022.4	210843	48714	2,124,236
23	सिक्किम	14,900	26-नवंबर-18	0	14,900						14,900
24	तमिलनाडु*	2,170		0	2,170						2,170
25	तेलंगाना	515,084	14-नवंबर-18	0	515,084						515,084
26	त्रिपुरा	139,090	27-नवंबर-18	0	139,090						139,090
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	31-दिसंबर-18	1,200,003	9,180,571	डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल	13.07.2021	836.31	334652	0	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751	30-नवंबर-18	0	248,751						248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	26-नवंबर-18	0	732,290						732,290
कुल		**26,284,350**		**1,885,374**	**28,169,724**	**-**	**-**	**4,102**	**1,183,870**	**433,687**	**28,603,411**
* सौभाग्य से पहले विद्युतीकृत और सौभाग्य के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं											

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3499
जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

एनएचपीसी नवीकरणीय ऊर्जा

3499. श्री सी. लालरोसांगा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) लिमिटेड ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को निगमित किया है जिसे एनएचपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नई कंपनी के गठन का उद्देश्य क्या है और राज्य सरकार में इसकी क्या भूमिका है;

(घ) क्या इसके गठन से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को मदद मिलेगी; और

(ङ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हां। एनएचपीसी लिमिटेड ने 10/-रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर से 49.90 करोड़ इक्विटी शेयरों से 499 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ दिनांक 16.02.2022 को एनएचपीसी रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) नाम से एक सहायक कंपनी निगमित की है।

(ग) से (ङ) : एनएचपीसी लिमिटेड की नई सहायक कंपनी के गठन का प्रयोजन नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं, लघु जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं का विकास करना है। इन क्षेत्रों में सभी भावी परियोजनाएं एनआरईएल के माध्यम से शुरू किया जाना परिकल्पित है। ऐसी परियोजनाओं के विकास के लिए जरूरत के अनुसार राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम भी स्थापित किए जाएंगे।

एनआरईएल का गठन नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि को बल प्रदान करेगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3504

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

बिजली परियोजनाओं का विकास

3504. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) तकनीकी और पर्यावरण मंजूरी के लिए अभी भी लंबित केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी यदि वह निर्दिष्ट ग्रिड से संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो वह इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति किए/ अनुमति लिए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदुनसार, ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपीज) की संस्थापना के लिए सरकार की संस्वीकृति अपेक्षित नहीं है। तथापि, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी जो जल विद्युत केंद्र स्थापित करने का आशय रखती है, वह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए एक स्कीम तैयार और प्रस्तुत करेगी जिसमें ऐसी राशि (वर्तमान में 1000 करोड़ रुपये) जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, से अधिक पूंजी व्यय अंतर्वलित होना प्राक्कलित हो।

वर्तमान वर्ष और विगत तीन वर्षों के दौरान सीईए ने जांच के लिए राज्य क्षेत्र परियोजनाओं की किसी भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) : हिमाचल प्रदेश राज्य में 500 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली केंद्रीय क्षेत्र परियोजना की एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम अर्थात् डुगर एचई परियोजना की डीपीआर तकनीकी मंजूरी के लिए सीईए में प्राप्त हुई है। ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। पर्यावरण मंजूरी के लिए कोई केंद्रीय विद्युत परियोजनाएं लंबित नहीं हैं।

(ङ) : सीईए के विभिन्न मूल्यांकन समूहों द्वारा डीपीआर की तेजी से जांच करने के उद्देश्य से, सदस्य (हाइड्रो), सीईए द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें ली जाती हैं जिनमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना विकासकर्ताओं और मूल्यांकन समूहों के साथ मुद्दों का समाधान किया जाता है। इसके अलावा, डीपीआर की जांच हेतु दिशा-निर्देशों को सरल बनाया गया है और डीपीआर की प्रस्तुति तथा जांच हेतु सभी मूल्यांकन समूहों के साथ इंटरफेस वाली ऑनलाइन सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली के प्रक्रिया समय में कमी लाने के लिए प्रचालित किया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सीईए में तकनीकी मंजूरी के लिए जांच के अधीन/लंबित केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीमें

क्रम सं.	**स्कीम**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**क्षेत्र**	**एजेंसी**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**
1.	डुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	500

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3515

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

डिस्कॉम के पास लंबित बकाया

3515. श्री नितेश गंगा देब:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के देश में बड़े बकाया भुगतान के लिए पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फरवरी, 2022 तक डिस्कॉम के पास बिजली उत्पादन कंपनियों के लगभग बकाया देय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा प्रकाशित "विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट 2019-20" में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर डिस्कॉमों हेतु बकाया व्यापार प्राप्य राशियां 2,16,272 करोड़ रुपये थीं। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) : प्राप्ति पोर्टल पर विद्युत क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, फरवरी, 2022 की समाप्ति पर डिस्कॉमों से देय राशियों की कुल धनराशि 1,00,931 करोड़ रुपये है। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3515 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर डिस्कॉमों हेतु व्यापार प्राप्य का राज्य-वार विवरण

31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार	
	व्यापार प्राप्य (करोड़ रुपये)
राज्य क्षेत्र	**212,894**
आंध्र प्रदेश	**9,143**
एपीईपीडीसीएल	2,369
एपीएसपीडीसीएल	6,774
असम	**1,934**
एपीडीसीएल	1,934
बिहार	**6,317**
एनबीपीडीसीएल	2,191
एसबीपीडीसीएल	4,126
छत्तीसगढ़	**5,770**
सीएसपीडीसीएल	5,770
दादरा और नगर हवेली	**284**
डीएनएचपीडीसीएल	284
गुजरात	**2,542**
डीजीवीसीएल	705
एमजीवीसीएल	429
पीजीवीसीएल	591
यूजीवीसीएल	816
हरियाणा	**2,397**
डीएचबीवीएनएल	1,913
यूएचबीवीएनएल	483
हिमाचल प्रदेश	**608**
एचपीएसईबीएल	608
झारखंड	**4,015**
जेबीवीएनएल	4,015
कर्नाटक	**9,155**
बेसकॉम	4,216
चेसकॉम	1,333
गेसकॉम	1,347
हेसकॉम	1,723
मेसकॉम	535
केरल	**2,567**
केएसईबीएल	2,567
मध्य प्रदेश	**9,815**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	4,278
एमपीपीएकेवीवीसीएल	2,027
एमपीपीओकेवीवीसीएल	3,510
महाराष्ट्र	**36,366**
एमएसईडीसीएल	36,366
मणिपुर	**560**
एमएसपीडीसीएल	560

मेघालय	**628**
एमईपीडीसीएल	628
ओडिशा	**4,084**
सेसु	2,163
नेस्को यूटिलिटी	848
साउथको यूटिलिटी	399
वेसको यूटिलिटी	675
पुदुचेरी	**1,023**
पुडुचेरी पीडी	1,023
पंजाब	**5,250**
पीएसपीसीएल	5,250
राजस्थान	**4,761**
एवीवीएनएल	591
जेडीवीवीएनएल	1,753
जेवीवीएनएल	2,417
तमिलनाडु	**6,798**
टैंजेडको	6,798
तेलंगाना	**14,889**
टीएसएनपीडीसीएल	6,232
टीएसएसपीडीसीएल	8,658
त्रिपुरा	**243**
टीएसईसीएल	243
उत्तर प्रदेश	**77,931**
डीवीवीएनएल	18,290
केस्को	2,949
एमवीवीएनएल	18,647
पीएवीवीएनएल	10,820
पीयूवीवीएनएल	27,226
उत्तराखंड	**954**
यूपीसीएल	954
पश्चिम बंगाल	**4,860**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	4,860
निजी क्षेत्र	**3,379**
दिल्ली	**1,030**
बीआरपीएल	417
बीवाईपीएल	297
टीपीडीडीएल	316
गुजरात	**652**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	476
टोरेंट पावर सूरत	176
महाराष्ट्र	**552**
एईएमएल	552
उत्तर प्रदेश	**88**
एनपीसीएल	88
पश्चिम बंगाल	**1,056**
सीईएससी	991
आईपीसीएल	65
कुल जोड़	**216,272**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3515 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

जेनकोज के लिए राज्यों पर बकाया धनराशि (दिनांक 28.02.22 तक की स्थिति प्राप्ति पोर्टल के अनुसार)

(बकाया धनराशि आंकड़ों में विवादित राशि शामिल नहीं है)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**कुल बकाया धनराशियां (करोड़ रुपये)**
अरुणाचल प्रदेश	-
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8
आंध्र प्रदेश	7538
असम	5
पश्चिम बंगाल	527
बिहार	684
चंडीगढ़	78
छत्तीसगढ़	121
दिल्ली	557
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	405
गुजरात	337
गोवा	9
हिमाचल प्रदेश	14
हरियाणा	754
जम्मू एवं कश्मीर	6863
झारखंड	3567
केरल	477
कर्नाटक	5240
मेघालय	548
महाराष्ट्र	19278
मणिपुर	45
मध्य प्रदेश	5243
मिजोरम	12
नागालैंड	-
ओडिशा	251
पंजाब	1326
पुद्दुचेरी	24
राजस्थान	10855
सिक्किम	48
तेलंगाना	6889
तमिलनाडु	19442
त्रिपुरा	146
उत्तर प्रदेश	9634
उत्तराखंड	6
कुल	**1,00,931**

[स्रोत: प्राप्ति पोर्टल]

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3517

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत सब्सिडी

3517. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को अनेक वर्षों से कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई विद्युत सब्सिडियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां; तो किसानों को दी गई सब्सिडाइज्ड विद्युत का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) आज की तारीख में कृषि बोर वैल सिंचाई हेतु निःशुल्क विद्युत आपूर्ति करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार के पास अनिवार्य कृषि क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन्स हेतु सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो विद्युत क्षेत्र में डीबीटी योजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों को आवेदन देने के पश्चात् भी विद्युत कनेक्शन देने में देरी होती है, यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों को दौरान प्राप्त समाधानित एवं लंबित आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, राज्य सरकारें वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि का अग्रिम भुगतान द्वारा किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को सब्सिडी दे सकती हैं। कृषि उपभोक्ताओं सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिलकृत टैरिफ सब्सिडी (करोड़ रूपये में) तथा प्राप्त टैरिफ सब्सिडी (करोड़ रूपये में) के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

जहां तक कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी के आंकड़ों के संग्रहण का संबंध है, बोरवेल के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु कोई अलग श्रेणी नहीं है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुद्दुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने वाले राज्य हैं।

इस समय केन्द्र सरकार का कृषि क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का डीबीटी अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों द्वारा कुछ आपूर्ति क्षेत्रों में डीबीटी कार्यान्वित किया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत कनेक्शन/अवसंरचना के प्रत्येक अनुरोध का एक निर्धारित समयावधि के भीतर पालन किया जाना है। यह राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन देने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने दिनांक 31.12.2020 को विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किए हैं जिसमें नए विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए मैट्रो शहरों में 7 दिन, अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन की समय-सीमा का व्यवस्था की गई है। एसईआरसीज से अनुरोध किया गया है कि इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित विनियमों में संशोधन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3517 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

टैरिफ सब्सिडी ब्यौरे

करोड़ रूपये

	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	बिलकृत टैरिफ सब्सिडी	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी	बिलकृत टैरिफ सब्सिडी	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी	बिलकृत टैरिफ सब्सिडी	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी	बिलकृत टैरिफ सब्सिडी	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी	बिलकृत टैरिफ सब्सिडी	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी
राज्य क्षेत्र	**74,160**	**73,061**	**82,326**	**77,386**	**90,917**	**86,544**	**109,290**	**97,327**	**117,485**	**111,120**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह					-	-	-	-	-	-
अंडमान एवं निकोबार पीडी					-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	**3,186**	**3,152**	**3,289**	**2,859**	**3,915**	**3,371**	**6,052**	**1,250**	**7,780**	**9,192**
एपीईपीडीसीएल	868	817	136	161	512	251	1,115	227	1,341	1,759
एपीएसपीडीसीएल	2,318	2,335	3,153	2,698	3,403	3,120	4,937	1,023	6,439	7,433
अरुणाचल प्रदेश	**235**	**235**	**90**	**90**	**-**	**-**	**111**	**111**	**-**	**-**
अरुणाचल पीडी	235	235	90	90	-	-	111	111	-	-
असम	**335**	**245**	**395**	**371**	**390**	**527**	**262**	**552**	**290**	**477**
एपीडीसीएल	335	245	395	371	390	527	262	552	290	477
बिहार	**4,390**	**4,390**	**3,834**	**3,834**	**2,300**	**3,078**	**3,843**	**5,089**	**5,189**	**5,193**
एनबीपीडीसीएल	1,579	1,579	1,514	1,514	1,292	1,292	1,887	2,453	2,636	3,115
एसबीपीडीसीएल	2,811	2,811	2,320	2,320	1,009	1,787	1,956	2,636	2,553	2,078
चंडीगढ़					-	-	-	-	-	-
चंडीगढ़ पीडी					-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	**407**	**407**	**2,692**	**2,541**	**2,483**	**2,036**	**3,564**	**2,079**	**4,249**	**4,651**
सीएसपीडीसीएल	407	407	2,692	2,541	2,483	2,036	3,564	2,079	4,249	4,651
दादरा एवं नगर हवेली					-	-	-	-	-	-
डीएनएचपीडीसीएल					-	-	-	-	-	-
दमन और दीव					-	-	-	-	-	-
दमन और दीव पीडी					-	-	-	-	-	-
गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गोवा पीडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	**5,010**	**4,940**	**4,230**	**4,233**	**4,206**	**4,206**	**6,944**	**6,944**	**6,022**	**6,022**
डीजीवीसीएल	204	204	204	204	203	203	342	342	45	45
एमजीवीसीएल	356	285	292	296	288	288	473	473	63	63
पीजीवीसीएल	2,096	2,096	1,746	1,746	1,732	1,732	2,831	2,831	2,590	2,590
यूजीवीसीएल	2,354	2,354	1,988	1,988	1,983	1,983	3,297	3,297	3,324	3,324
हरियाणा	**6,323**	**6,323**	**6,609**	**6,609**	**7,603**	**7,603**	**7,352**	**7,352**	**6,991**	**6,991**
डीएचबीवीएनएल	2,529	2,529	2,644	2,644	3,043	3,043	2,978	2,978	3,154	3,154
यूएचबीवीएनएल	3,794	3,794	3,965	3,965	4,560	4,560	4,373	4,373	3,838	3,838
हिमाचल प्रदेश	**383**	**784**	**450**	**325**	**407**	**360**	**445**	**574**	**497**	**514**
एचपीएसईबीएल	383	784	450	325	407	360	445	574	497	514
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	**1,200**	**1,200**	**1,200**	**1,200**	**1,200**	**900**
जेकेपीडीडी	-	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	900
झारखंड	**1,600**	**1,600**	**1,200**	**1,200**	**3,000**	**3,000**	**1,250**	**1,250**	**1,329**	**1,350**
जेबीवीएनएल	1,600	1,600	1,200	1,200	3,000	3,000	1,250	1,250	1,329	1,350
कर्नाटक	**7,744**	**7,997**	**9,368**	**8,568**	**10,220**	**8,739**	**11,883**	**9,088**	**11,864**	**11,120**
बेसकॉम	1,616	1,524	2,084	1,895	2,242	1,870	2,807	2,269	2,949	2,536
चेसकॉम	1,042	1,547	1,548	1,297	1,435	1,189	1,654	1,416	1,774	1,432
गेस्कम	1,499	1,918	1,641	1,701	1,799	1,740	2,158	1,697	2,019	2,055
हेस्कॉम	3,076	2,353	3,314	3,106	3,845	3,295	4,369	3,077	4,132	4,204
मेस्कॉम	510	655	781	570	898	645	895	629	989	893
केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
केएसईबीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लक्षद्वीप					-	-	-	-	-	-
लक्षद्वीप ईडी					-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	**5,418**	**5,530**	**6,736**	**7,094**	**9,100**	**9,192**	**11,615**	**9,384**	**16,722**	**13,438**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	1,464	1,576	1,909	1,968	2,259	2,273	3,154	2,489	5,119	4,346
एमपीपीएकेवीवीसीएल	3,000	3,000	3,725	4,013	4,318	4,388	5,271	4,350	7,011	5,681
एमपीपीओकेवीवीसीएल	954	954	1,103	1,112	2,523	2,531	3,190	2,545	4,593	3,411

महाराष्ट्र	**6,776**	**7,716**	**7,781**	**6,231**	**7,616**	**8,744**	**10,346**	**11,662**	**8,008**	**10,022**
एमएसईडीसीएल	6,776	7,716	7,781	6,231	7,616	8,744	10,346	11,662	8,008	10,022
मणिपुर	**171**	**171**	**171**	**171**	**213**	**213**	**120**	**120**	**120**	**120**
एमएसपीडीसीएल	171	171	171	171	213	213	120	120	120	120
मेघालय	**23**	**23**	**21**	**21**	**-**	**-**	**18**	**18**	**10**	**10**
एमईपीडीसीएल	23	23	21	21	-	-	18	18	10	10
मिजोरम	**-**	**-**	**-**	**-**	**244**	**244**	**150**	**150**	**116**	**400**
मिजोरम पीडी	-	-	-	-	244	244	150	150	116	400
नागालैंड	**259**	**259**	**251**	**251**	**269**	**269**	**286**	**286**	**-**	**-**
नागालैंड पीडी	259	259	251	251	269	269	286	286	-	-
ओडिशा	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
सीईएसयू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नेस्को यूटीलिटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
साउथको यूटीलिटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वेस्को यूटीलिटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुद्दुचेरी	**3**	**-**	**0**	**-**	**1**	**-**	**4**	**-**	**6**	**-**
पुद्दुचेरी पीडी	3	-	0	-	1	-	4	-	6	-
पंजाब	**5,761**	**4,847**	**6,177**	**5,601**	**8,288**	**6,578**	**8,636**	**9,036**	**9,212**	**9,395**
पीएसपीसीएल	5,761	4,847	6,177	5,601	8,288	6,578	8,636	9,036	9,212	9,395
राजस्थान	**8,640**	**7,097**	**9,311**	**7,824**	**10,246**	**8,759**	**10,812**	**7,681**	**12,921**	**7,384**
एवीवीएनएल	2,160	1,930	2,341	2,001	2,472	2,139	2,673	2,019	2,990	1,810
जेडीवीवीएनएल	4,030	3,170	4,319	3,570	4,663	4,091	4,975	3,368	5,878	3,096
जेवीवीएनएल	2,450	1,998	2,651	2,253	3,112	2,529	3,164	2,294	4,053	2,478
सिक्किम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**
सिक्किम पीडी	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
तमिलनाडु	**6,695**	**6,695**	**8,485**	**8,485**	**7,725**	**7,725**	**7,694**	**7,694**	**8,053**	**8,053**
टैंजेडको	6,695	6,695	8,485	8,485	7,725	7,725	7,694	7,694	8,053	8,053
तेलंगाना	**4,257**	**3,963**	**4,410**	**4,403**	**4,777**	**3,875**	**5,652**	**4,651**	**5,652**	**4,742**
टीएसएनपीडीसीएल	3,533	3,239	3,377	3,370	4,050	3,278	4,254	3,501	4,254	3,569
टीएसएसपीडीसीएल	724	724	1,033	1,033	727	598	1,398	1,150	1,398	1,173
त्रिपुरा	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47**	**-**
टीएसईसीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
उत्तर प्रदेश	**6,143**	**6,143**	**6,075**	**6,075**	**5,800**	**5,800**	**10,070**	**10,070**	**10,120**	**10,120**
डीवीवीएनएल	1,749	1,749	1,952	1,952	1,865	1,865	2,266	2,266	2,180	2,180
केस्को	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एमवीवीएनएल	1,715	1,715	764	764	1,343	1,343	2,700	2,700	1,886	1,886
पीएवीवीएनएल	775	775	1,414	1,414	912	912	1,728	1,728	2,765	2,765
पीयूवीवीएनएल	1,904	1,904	1,945	1,945	1,681	1,681	3,376	3,376	3,289	3,289
उत्तराखंड	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
यूपीसीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	**401**	**543**	**750**	**600**	**912**	**1,024**	**982**	**1,087**	**1,084**	**1,028**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	401	543	750	600	912	1,024	982	1,087	1,084	1,028
निजी क्षेत्र	**1,448**	**1,454**	**1,530**	**1,552**	**1,630**	**1,645**	**1,699**	**1,686**	**2,437**	**2,380**
दिल्ली	**1,448**	**1,454**	**1,530**	**1,552**	**1,630**	**1,645**	**1,699**	**1,686**	**2,437**	**2,380**
बीआरपीएल	636	659	672	648	723	720	761	785	1,110	1,069
बीवाईपीएल	393	376	420	466	449	468	459	423	657	641
टीपीडीडीएल	419	419	438	438	457	457	479	479	670	670
गुजरात					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
टोरेंट पावर अहमदाबाद					-	-	-	-	-	-
टोरेंट पावर सूरत					-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र							**-**	**-**	**-**	**-**
एईएमएल							-	-	-	-
उत्तर प्रदेश					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
एनपीसीएल					-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
सीईएससी					-	-	-	-	-	-
आईपीसीएल					-	-	-	-	-	-
कुल योग	**75,608**	**74,515**	**83,856**	**78,938**	**92,547**	**88,189**	**110,989**	**99,013**	**119,921**	**113,500**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3523

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने हेतु दिशानिर्देश और मानक

3523. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अपनी सीओपी 26 प्रतिबद्धता के अनुरूप परिवहन क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग हेतु संशोधित दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए दिशानिर्देश किस हद तक राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और राज्य की राजधानियों में इलेकट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में मदद कर सकते हैं; और

(घ) सरकार के इस कदम पर जनता, स्टार्टअप और निजी संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्तमान में, भारतीय सड़क परिवहन क्षेत्र पर गैसोलिन और डीजल वाहनों का वर्चस्व है जिसके कारण जीएचजी उत्सर्जन होता है। समग्र विद्युत ग्रिड सम्मिश्रण में नवीकरणीय उत्पादन की बढ़ती हुई भागीदारी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीज) का अंगीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्सर्जन सघनता में कमी करने की अत्यधिक संभावना है। ई-मोबिलिटी के प्रति पारगमन को समर्थकृत बनाने और इसके अंगीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से देश में सुरक्षित, सुलभ, वहनीय और संबद्धित सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन महत्वपूर्ण है।

इस दिशा में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14 जनवरी, 2022 को "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसरंचना - समेकित दिशा-निर्देश और मानक" जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों और मानकों में ईवी चार्जिंग अवसंरचना के सृजन में अग्रसक्रिय रूप से सहयोग करने, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन संचालकों/स्वामियों और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) स्वामियों से वसूली योग्य वहनीय टैरिफ की व्यवस्था करने, ईवी स्वामियों को अपने मौजूदा विद्युत कनेक्शनों का प्रयोग करते हुए अपने निवास/कार्यालयों में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में समर्थ बनाने, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के प्रचालन को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उपयोग की गई भूमि हेतु राजस्व साझीदारी मॉडल प्रदान करने, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने और ईवी सार्वजनिक अवसंरचना शुरू करने, सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना हेतु अवसंरचना आवश्यकताओं की रूपरेखा का प्रावधान है। इन दिशा-निर्देशों और मानकों में यथा निर्धारित मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) को विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ सिंगल पार्ट टैरिफ होगा और 31 मार्च, 2025 तक "औसत आपूर्ति लागत" से अधिक नहीं होगा।
ii. डिस्कॉम विभिन्न क्षेत्रों में आगामी चार्जिंग अवसंरचना के कारण आवश्यक सामान्य अपस्ट्रीम नेटवर्क संवर्धन के लिए 'भाग क - वितरण अवसंरचना' के अंतर्गत संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) से वित्त पोषण का लाभ उठा सकते हैं। संशोधित स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से डिस्कॉमों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों की लागत ईवी के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के उपभोक्ताओं से प्रभारित नहीं की जाएगी।
iii. हाउसिंग सोसायटियों, मॉल, कार्यालय परिसरों, रेस्तरांओं, होटलों आदि द्वारा आगंतुकों के वाहनों, जिन्हें परिसर में आने की अनुमति को चार्ज करने के लिए, वाहनों की चार्जिंग हेतु सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं।

iv. ऐसे फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो 100% आंतरिक/कैप्टिव उपयोग के लिए हैं, आवश्यकता के अनुसार चार्जिंग विशिष्टताओं के चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

v. डिस्कॉमों को 'विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020' में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुरूप पीसीएस के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निदेश जारी किए गए हैं।

vi. पीसीएस के लिए कनेक्शन मेट्रो शहरों में 7 दिन, अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन के भीतर प्रदान किए जाएंगे। उपयुक्त आयोग उपर्युक्त वर्णित सीमा से कम समय-सीमा निर्दिष्ट कर सकता है।

vii. कोई भी पीसीएस/चार्जिंग स्टेशनों की श्रृंखला भी खुली पहुंच के माध्यम से किसी भी उत्पादन कंपनी से विद्युत प्राप्त कर सकती है। इस कार्य के लिए खुली पहुंच 15 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी। केवल क्रॉस सब्सिडी प्रभार (टैरिफ नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 प्रतिशत से अधिक नहीं), पारेषण प्रभार और व्हीलिंग प्रभार लागू होंगे।

viii. दिशा-निर्देशों में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना (पीसीआई) की आवश्यकता, लम्बी दूरी की ईवीज तथा/अथवा हैवी ड्यूटी ईवीज के लिए पीसीआई, पीसीएस के स्थान, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के डेटाबेस, ईवी पीसीएस को विद्युत की आपूर्ति के टैरिफ और पीसीएस पर सेवा प्रभार के ब्यौरे भी शामिल होंगे।

ix. भूमि के किराये और प्रभारों की उच्च लागत के कारण दिशा-निर्देशों में पीसीएस के लिए प्रोत्साहनात्मक दरों पर भूमि के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। सरकार/सार्वजनिक कंपनियों के पास उपलब्ध भूमि सरकार/सार्वजनिक कंपनी को 1 रूपया/किलोवाट प्रति घंटा (चार्जिंग के लिए प्रयुक्त) की निश्चित दर पर राजस्व सहभागिता आधार पर प्रदान की जाएगी जिसका भुगतान भूमि स्वामित्व एजेंसी को आरंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाना है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.01.2022 को जारी संशोधित समेकित दिशा-निर्देश और मानकों के अनुसार सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना का नियोजन दो चरणों में किए जाने का प्रस्ताव है। चरण-I में, 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले सभी मेगा शहरों और इन मेगा शहरों से जुड़े सभी मौजूदा एक्सप्रेसवेज़ और इन सभी मेगा शहरों से जुड़े महत्वपूर्ण राजमार्गों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के चरण-II में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना के लिए, राज्यों की राजधानियों, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालयों और इन शहरों से जुड़े महत्वपूर्ण राजमार्गों को कवर करने का प्रस्ताव है।

(घ) : विद्युत मंत्रालय ने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसरंचना के लिए अपने संशोधित दिशा-निर्देशों और मानकों के माध्यम से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में निजी सार्वजनिक, स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के निम्नानुसार प्रावधान किए हैं:

i. सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कोई भी व्यक्ति/कंपनी स्वतंत्र है।

ii. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए किसी निजी कंपनी को भूमि प्रदान करने के लिए ₹1/किलोवाट प्रति घंटा के आधार मूल्य पर नीलामी आधार पर सार्वजनिक भू-स्वामित्व एजेंसी द्वारा अंगीकरण हेतु राजस्व साझीदारी मॉडल निर्धारित किया गया है।

iii. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन को विद्युत कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए समय-सीमा विनिर्दिष्टि की गई है।

iv. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (स्टेशनों) को खुली पहुंच के माध्यम से किसी भी उत्पादन कंपनी से विद्युत प्राप्त करने की अनुमति है।

v. सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत की आपूर्ति के लिए संवर्धनात्मक टैरिफ को सिंगल पार्ट टैरिफ के रूप में विनिर्दिष्टि किया गया है जो 31 मार्च, 2025 तक औसत आपूर्ति लागत से अधिक नहीं होगा।

सरकार द्वारा सृजित उक्त उल्लिखित पारिस्थितिकी-तंत्र के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा संस्थापित 1633 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं और वर्तमान में प्रचालनरत हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3529

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

बिजली की दरें

3529. श्री जुएल ओराम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के प्रत्येक राज्य में बिजली हेतु 'एक राष्ट्र-एक दर' लागू करना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य की वर्तमान बिजली दरें अलग-अलग हैं जिससे राज्यों पर अधिक वित्तीय बोझ पड़ता है और यदि हां, तो ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य में बिजली की अलग-अलग दरों के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का ओडिशा के लिए बिजली दरों की समीक्षा करने का भी विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्तमान में, देशभर में समान विद्युत मूल्य लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। समान टैरिफ दिन के एक विशिष्ट समय ब्लॉक के लिए विद्युत एक्सचेंजों में पता लगाई जाती है। तदनुसार, इस सीमा तक, विद्युत एक्सचेंजों से वितरण यूटिलिटियों द्वारा खरीदी गई विद्युत के लिए विद्युत का मूल्य, बाजार विखंडन के मामले के अलावा, समान रहता है।

(ग) से (च) : विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार, विद्युत की खुदरा आपूर्ति टैरिफ निर्धारित करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के दायरे में आता है। ओडिशा के मामले में, टैरिफ का निर्धारण ओडिशा राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। विद्युत की खुदरा आपूर्ति टैरिफ विभिन्न कारकों जैसे विद्युत क्रय लागत एवं अन्य प्रचालन लागत तथा वितरण कंपनियों के वित्तीय मानदंड पर निर्भर करती है और देशभर में डिस्कॉमों में अलग-अलग होती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3531

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

एक राष्ट्र-एक ग्रिड योजना

3531. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एसः
श्री कुलदीप राय शर्माः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एक राष्ट्र-एक ग्रिड योजना लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या लाभ हैं;

(ख) योजना को लागू करते समय सरकार के सामने क्या चुनौतियां आई हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लिंक की क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार का देश में बिजली के सभी क्षेत्रों के लिए एक समान बिजली टैरिफ योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का बिजली बिल का आसानी से भुगतान करने में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं और क्षमता को भी ध्यान में रखने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : दिसम्बर, 2013 में सभी पांच (क्षेत्रीय) विद्युत ग्रिडों के एक अंतर्संबद्ध एवं समकालिक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में एकीकरण द्वारा "एक राष्ट्र एक ग्रिड" को पहले ही हासिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.12.2013 तक की स्थिति के अनुसार अंतर-क्षेत्रीय संपर्कों को भी 35,950 मेगावाट से संवर्धित कर दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार 1,12,250 मेगावाट कर दिया गया है।

सभी क्षेत्रीय ग्रिडों को समकालिक करने और सुदृढ़ करने से विद्युत के संसाधन केन्द्रित क्षेत्र से भार केन्द्रित क्षेत्रों में अंतरण द्वारा अल्प प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग में सहायता मिली है। इसके

अलावा, इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक विद्युत बाजार की स्थापना हुई है जिससे क्षेत्रों के बीच विद्युत का व्यापार सुगम हुआ है।

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	**संचयी अंतर-क्षेत्रीय अंतरण क्षमता (मेगावाट)**
2019-20 (दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार)	102,050
2020-21 (दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार)	105,050
2021-22 (दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार)	112,250

(घ) और (ङ) : सरकार का देश में विद्युत के सभी क्षेत्रों के लिए एकसमान विद्युत टैरिफ रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, विद्युत की खुदरा आपूर्ति के टैरिफ निर्धारण का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अधिकार क्षेत्र में आता है। विद्युत की खुदरा आपूर्ति का टैरिफ विद्युत खरीद की लागत और वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के अन्य प्रचालनात्मक एवं वित्तीय मानदंडों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और यह पूरे देश की डिस्कॉमों में भिन्न-भिन्न होता है।

(च) और (छ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ निर्धारित करते समय टैरिफ नीति से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। टैरिफ नीति, 2016 में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों को अपनाते हुए अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार, जितनी उचित समझें, उस सीमा तक सब्सिडी प्रदान कर सकती हैः

i. जैसा कि राष्ट्रीय विद्युत नीति में निर्धारित किया गया है, विद्युत के एक निर्दिष्ट स्तर से कम खपत करने वाले गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ता, क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से विशेष सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नामित समूह के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ आपूर्ति की औसत लागत का कम से कम 50% होगा।
ii. टैरिफ विद्युत की आपूर्ति की लागत को उत्तरोत्तर प्रतिबिंबित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उपयुक्त आयोग इस प्रकार से एक रोडमैप अधिसूचित करेगा कि टैरिफ औसत आपूर्ति लागत के ±20% के भीतर लाया जाए। इस रोडमैप में क्रॉस सब्सिडी में क्रमिक कमी के दृष्टिकोण के आधार पर, मध्यवर्तीय लक्ष्य भी होंगे।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3545

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

निवल और सकल मीटरिंग

3545. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

श्रीमती पूनम महाजन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केवल 10 किलोवाट से कम क्षमता वाली सौर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए निवल मीटरिंग करने और 10 किलोवाट से ऊपर के लिए सकल मीटरिंग क्षमता की अनुमति को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मीटरिंग अधिसूचना उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उध्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों को प्रभावित करेगा जिनके पास अधिक क्षमता (10 किलोवाट से अधिक) संस्थापित है क्योंकि यह छोटी इकाइयों और व्यक्तियों की बचत को प्रभावित करेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 10 किलोवाट से अधिक की अधिष्ठापित क्षमता वाले उपरोक्त एमएसएमई को राहत देने के लिए सरकार के प्रस्तावित/प्रस्ताव किए जाने वाले कदम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2020 को विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किए। ये नियम विद्युत उपभोक्ताओं को सशक्त बनाते हैं और यह धारणा प्रकट करते हैं कि विद्युत प्रणालियों का अस्तित्व उपभोक्ताओं की सेवा के लिए है और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्राप्त करने का अधिकार है।

दिनांक 29.06.2021 को विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 का संशोधन अधिसूचित किया गया था जिसमें किसी प्रोज्यूमर, जिसमें एमएसएमई भी शामिल है, की सौर रूफटॉप पीवी प्रणाली के लिए नेट मीटरिंग की सीमा को 10 किलोवाट से बढ़ाकर 500 किलोवाट कर दिया गया था।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3546

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन

3546. श्री जयंत सिन्हा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) देश में मिशन के चरण 1 और 2 के तहत राज्य-वार कितने स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पारंपरिक मीटरों की तुलना में स्मार्ट मीटर के लाभों का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार द्वारा भारत में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए वर्ष 2015 में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) की स्थापना की गई थी। स्मार्ट ग्रिडों का प्राथमिक उद्देश्य विद्युत के नेटवर्कों की विश्वसनीयता में सुधार करना और वितरित उत्पादन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा इनपुट्स को ग्रिड अनुगामी बनाना है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटरों के साथ बढ़ी हुई दक्षताओं से उपभोक्ता अपनी विद्युत खपत का बेहतर तरीके से प्रबंध करने में सक्षम होते हैं और उन्हें अपने बिल कम करने में सहायता मिलती है। इसके साथ-साथ, एनएसजीएम में स्मार्ट ग्रिडों के क्षेत्रों में वितरण क्षेत्र के कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण शुरूआतों की परिकल्पना भी की गई है।

(ख) : दिनांक 11.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, एनएसजीएम के अंतर्गत संस्थापित स्मार्ट मीटरों सहित, पूरे देश में अब तक, 40,19,755 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनके ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : मैसर्स क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) द्वारा आईआईटी, कानपुर में स्मार्ट सिटी पायलट और स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (एसजीकेसी), मानेसर सहित स्मार्ट ग्रिड प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया गया था और यह देखा गया है कि ज्यादातर डिस्कॉमों/यूटीलिटियों में एटीएंडसी हानियों को कम करने में की जा रही प्रगति से पर्याप्त उपलब्धि हासिल हुई है।

बिहार में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा बड़े पैमाने पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रीपेड स्मार्ड मीटरों की संस्थापना के बाद संग्रहण में 20% तक का सुधार हुआ है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3546 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

राज्य-वार स्मार्ट मीटर की संस्थापना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संस्थापित स्मार्ट मीटर
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	74,900
2.	आंध्र प्रदेश	2,000
3.	असम	2,30,612
4.	बिहार	6,27,857
5.	चंडीगढ़	22,463
6.	दिल्ली	2,58,444
7.	गुजरात	23,760
8.	हरियाणा	4,15,390
9.	हिमाचल प्रदेश	77,047
10.	जम्मू एवं कश्मीर	37,650
11.	झारखंड	0
12.	कर्नाटक	20,916
13.	केरल	805
14.	मध्य प्रदेश	2,43,313
15.	ओडिशा	4,500
16.	पुद्दुचेरी	30,568
17.	पंजाब	88,107
18.	राजस्थान	5,41,618
19.	तमिलनाडु	98,320
20.	त्रिपुरा	43,081
21.	तेलंगाना	8,882
22.	उत्तर प्रदेश	11,54,358
23.	पश्चिम बंगाल	15,164
कुल		**40,19,755**

स्रोत: एनपीएमयू

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3584
जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

गुजरात में बिजली की मांग

3584. श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य के पूरा होने के बाद गुजरात में बिजली की मांग का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो बिजली की अधिकतम मांग के समय अनुमानित बिजली भार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुमानित बिजली भार को पूरा करने के लिए ग्रिड क्षमता पर्याप्त होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने तदनुसार विद्युत उत्पादन और ग्रिड क्षमता बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य स्कीम की शुरूआत से, दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार, इसके समापन तक गुजरात में 41,317 घरों सहित देश में कुल 2.817 करोड़ घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

गुजरात की विद्युत मांग, राज्य की ऊर्जा मांग और व्यस्ततम मांग के भाग के रूप में प्रदर्शित है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 और चालू वर्ष अर्थात् 2021-22 (अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 तक की अवधि) के दौरान ऊर्जा एवं व्यस्ततम मांग के अनुसार गुजरात में विद्युत आपूर्ति के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) से (च) : विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त ग्रिड क्षमता उपलब्ध है। वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 और चालू वर्ष अर्थात् 2021-22 (अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 तक की अवधि) के दौरान ऊर्जा एवं व्यस्ततम मांग के अनुसार अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 395.6 गीगावाट है जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष के दौरान अनुभव की गई व्यस्ततम मांग केवल 203 गीगावाट थी।

भारत के पास एक राष्ट्र - एक ग्रिड - एक फ्रीक्वेंसी बनाते हुए समकालिक संपर्कों के माध्यम से पांच क्षेत्रीय ग्रिडों के अंतर्संयोजन के साथ सुदृढ़ पारेषण ग्रिड क्षमता है, जिसके परिणामस्वरूप, अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को, जैसाकि विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच अत्यल्प अंतर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत के सुचारू प्रवाह को समर्थकृत बनाया जाता है। ग्रिड क्षमता का विस्तार विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की आवश्यकता के अनुसार, आनुपातिक रूप से योजनाबद्ध किया जाता है। उत्पादन स्टेशनों से भार केंद्रों को विद्युत की निकासी के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से दिनांक 28.02.2022 तक देश में कुल 63,570 सीकेएमएस पारेषण लाइनें एवं 2,68,102 एमवीए रुपांतरण क्षमता जोड़ी गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता में भी 25,800 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हुई है जिससे दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल क्षमता 1,12,250 मेगावाट हो गई है। विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3584 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 और चालू वर्ष अर्थात् 2021-22 (अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 तक की अवधि) के दौरान ऊर्जा एवं व्यस्ततम मांग के अनुसार गुजरात में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे।

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]				व्यस्ततम [मेगावाट (एमडब्ल्यू) में]			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	व्यस्ततम मांग नहीं की गई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(%)
2017-18	109,984	109,973	12	0.0	16,590	16,590	0	0.0
2018-19	116,372	116,356	15	0.0	17,053	16,963	90	0.5
2019-20	113,940	113,939	1	0.0	18,437	18,424	13	0.1
2020-21	111,622	111,622	0	0.0	18,528	18,483	45	0.2
2021-22 (फरवरी**,** 2022 तक**)***	112,485	112,127	358	0.3	19,451	19,431	20	0.1

***अनंतिम**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3584 के भाग (ग) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 और चालू वर्ष अर्थात् 2021-22 (अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 तक की अवधि) के दौरान ऊर्जा एवं व्यस्ततम के अनुसार अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे।

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]				व्यस्ततम [मेगावाट (एमडब्ल्यू) में]			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	ऊर्जा आवश्यकता		आपूर्ति की गई ऊर्जा	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(%)
2017-18	1,213,326	1,204,697	8,629	0.7	164,066	160,752	3,314	2.0
2018-19	1,274,595	1,267,526	7,070	0.6	177,022	175,528	1,494	0.8
2019-20	1,291,010	1,284,444	6,566	0.5	183,804	182,533	1,271	0.7
2020-21	1,275,534	1,270,663	4,871	0.4	190,198	189,395	802	0.4
2021-22 (फरवरी, 2022 तक)*	1,251,314	1,246,170	5,144	0.4	203,014	200,539	2,475	1.2

***अनंतिम**

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3584 के भाग (ग) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. देश में कुल 28460 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
ii. वर्तमान में, कुल 12663.5 मेगावाट क्षमता की 36 वृहत् जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) हैं जो देश में क्रियान्वयनाधीन है। इनमें से, कुल 11427.5 मेगावाट क्षमता की 27 परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और कुल 1236 मेगावाट क्षमता की 9 परियोजनाएं इस समय रुकी हुई हैं।
iii. 8700 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन हैं और 7000 मेगावाट की न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं को प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति दी जा चुकी है।
iv. माननीय प्रधानमंत्री ने ग्लास्गो कोप26 सम्मेलन में वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता (हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर पीवी, पवन, बायोमास आदि) से 500 गीगावाट संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3585
जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत अवसंरचना

3585. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान विद्युत अवसंरचना के प्रावधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र में सुधारों और उपलब्धियों के लिए क्या पहल की गई है और संस्थापित क्षमता में कितने गीगावाट (जीडब्ल्यू) जोड़ा गया है और कितने अतिरिक्त घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने लाख सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों को जोड़ गया है और इस पर राज्य-वार कितनी राशि स्वीकृत/खर्च की गई है; और

(ग) इसके लिए तैयार की गई भविष्य की योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वितरण क्षेत्र में सुधारों के साथ विद्युत उत्पादन तथा पारेषण के लिए क्षमता अभिवर्धन के क्षेत्र में अनेक शुरूआतें की गई हैं, जिनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:

- देश में, दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 395.6 गीगावाट है। विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 28.02.2022 तक) के दौरान परंपरागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल 106.63 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है।
- सभी क्षेत्रीय ग्रिडों को समसामयिक रूप से जोड़ा गया है और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों (आईएसटीएस) में विद्युत के निर्बाध प्रवाह के लिए विद्युत पारेषण क्षमता पर्याप्त है जिसके परिणामस्वरूप, "एक राष्ट्र - एक ग्रिड - एक फ्रीक्वेंसी"बनी। वर्तमान में, राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता लगभग 1,12,250 मेगावाट (अप्रैल, 2014 से 76,300 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है)।
- भारत सरकार ने देशभर में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की थी। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2011

की जनगणना के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति के अनुसार देशभर के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांव विद्युतीकृत हो गए हैं।

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शेष गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के प्रयोजन से अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की गई थी। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, सभी राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिह्नित, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य स्कीम की शुरूआत से, दिनांक 31.03.2021 तक देशभर में 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका था।
- भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं वहनीय विद्युत प्रदान के उद्देश्य से दिनांक 20.07.2021 को सुधार आधारित एवं परिणाम-संबद्ध'संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम' शुरू की है। स्कीम का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये और केंद्रीय सरकार से प्राक्कलित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है।

(ख) : 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक विगत पांच वर्षों के दौरान, देश में कुल 1,00,270 सीकेएम पारेषण लाइनें (220 केवी और अधिक) जोड़ी गई हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान पारेषण क्षमता अभिवर्धन और पारेषण स्कीमों (220 केवी और अधिक) के लिए संस्वीकृत/व्यय की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: **अनुबंध-I** एवं **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग) : मौजूदा पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण सहित भार केंद्रों को उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की निकासी के लिए देश में पर्याप्त पारेषण क्षमता की योजना बनाई गई है। वर्ष 2021-22 (दिनांक 28.02.2022 तक) के लिए, 19255 सीकेएम पारेषण लाइनों एवं 81545 एमवीए रूपांतरण क्षमता के लक्ष्य के निमित्त क्रमश: 12719 सीकेएम और 69592 एमवीए रुपांतरण क्षमता संस्थापित की गई है। अगले तीन वर्षों में, अखिल भारतीय आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 17,500 सीकेएम पारेषण लाइनें और 80,000 एमवीए रुपांतरण क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 3585 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत पांच वर्षों (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक) के दौरान पारेषण क्षमता अभिवर्धन (सीकेएम) का ब्यौरा

संगठन/यूटिलिटियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लंबाई (सीकेएम)
राज्य क्षेत्र		
एईजीसीएल	असम	351
एपीट्रांसको	आंध्र प्रदेश	3678
बीएसपीटीसीएल	बिहार	2079
सीएसपीटीसीएल	छत्तीसगढ़	1447
डीएएनडीडी	दमन एवं दीव	14
डीएनएच	दादरा एवं नगर हवेली	5
डीटीएल	दिल्ली	91
ईडी, मणिपुर	मणिपुर	90
जीईटीसीओ	गुजरात	3296
एचपीपीटीसीएल	हिमाचल प्रदेश	170
एचवीपीएनएल	हरियाणा	1193
जेकेपीडीडी	जम्मू एवं कश्मीर	183
जेयूएसएनएल	झारखंड	1020
केपीटीसीएल	कर्नाटक	2154
केएसईबी	केरल	527
एमईईसीएल	मेघालय	0
एमपीपीटीसीएल	मध्य प्रदेश	2732
एमएसईटीसीएल	महाराष्ट्र	2965
ओपीटीसीएल	ओडिशा	325
पीएसटीसीएल	पंजाब	1307
पीटीसीयूएल	उत्तराखंड	210
आरवीपीएनएल	राजस्थान	5663
विद्युत विभाग, सिक्किम	सिक्किम	447
टेनट्रांसको	तमिलनाडु	4158
टीएसईसीएल	त्रिपुरा	0
टीएसट्रांसको	तेलंगाना	3646
यूपीपीटीसीएल	उत्तर प्रदेश	7064
डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	पश्चिम बंगाल	811
उप-जोड़ (राज्य क्षेत्र)		**45626**
केंद्रीय क्षेत्र		**41124**
निजी क्षेत्र		**13520**
कुल जोड़		**100270**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 3585 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत पांच वर्षों के दौरान पारेषण स्कीमों (220 केवी और अधिक) के लिए वास्तविक निधि व्यय का ब्यौरा (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	यूटिलिटी का नाम		पारेषण कार्य					
		राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Total
I	**केंद्रीय क्षेत्र**							
	पीजीसीआईएल	-	24,429	25,791	25,807	15,940	10,850	**1,02,817**
	डीवीसी	-	81	47	58	179	195	**560**
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	-	**24,510**	**25,838**	**25,865**	**16,119**	**11,045**	**1,03,377**
II	**राज्य क्षेत्र**							
a.	**उत्तरी क्षेत्र**							
1	डीटीएल	दिल्ली	211	311	एनएफ	एनएफ	250	**773**
2	एचपीपीटीसीएल	हिमाचल प्रदेश	162	317	464	366	382	**1,691**
3	एचवीपीएनएल	हरियाणा	212	219	एनएफ	405	505	**1,341**
4	पीडीडी, जे एंड के	जम्मू एवं कश्मीर	50	55	एनएफ	एनएफ	80	**184**
5	पीएसटीसीएल	पंजाब	265	315	154	89	69	**891**
6	आरवीपीएनएल	राजस्थान	2,076	1,773	1,315	एनएफ	एनएफ	**5,164**
7	यूपीपीटीसीएल	उत्तर प्रदेश	3,048	3,201	एनएफ	1,885	एनएफ	**8,134**
8	पीटीसीयूएल	उत्तराखंड	86	108	121	154	186	**655**
	कुल उत्तरी क्षेत्र		**6,110**	**6,299**	**2,053**	**2,899**	**1,472**	**18,832**
b.	**पश्चिमी क्षेत्र**							
1	सीएसपीटीसीएल	छत्तीसगढ़	73	169	एनएफ	एनएफ	एनएफ	**242**
2	जीईटीसीओ	गुजरात	951	1,102	1,082	1,182	1,419	**5,736**
3	गोवा	गोवा	26	0	एनएफ	एनएफ	22	**49**
4	एमपीपीटीसीएल	मध्य प्रदेश	368	991	1,603	845	1,535	**5,342**
5	एमएसईटीसीएल	महाराष्ट्र	581	464	एनएफ	596	767	**2,409**
	कुल पश्चिमी क्षेत्र		**1,999**	**2,727**	**2,685**	**2,623**	**3,744**	**13,779**
c.	**दक्षिणी क्षेत्र**							
1	एपीट्रांसको	आंध्र प्रदेश	1,066	499	790	588	588	**3,531**
2	केपीटीसीएल	कर्नाटक	807	696	1,180	1,294	एनएफ	**3,977**
3	केएसईबी	केरल	83	16	152	568	982	**1,800**
4	टेनट्रांसको	तमिलनाडु	2,866	2,782	3,392	4,168	2,685	**15,894**
5	टीएसट्रांसको	तेलंगाना	2,506	2,475	2,913	एनएफ	1,474	**9,369**
6	पुदुचेरी	पुदुचेरी	26	11	एनएफ	6	2	**45**
	कुल दक्षिणी क्षेत्र		**7,354**	**6,479**	**8,427**	**6,624**	**5,732**	**34,615**
d.	**पूर्वी क्षेत्र**							
1	बीएसपीटीसीएल	बिहार	301	0	एनएफ	एनएफ	एनएफ	**301**
2	ओपीटीसीएल	ओडिशा	340	358	322	626	607	**2,252**
3	जेयूएसएनएल	झारखंड	0	630	एनएफ	एनएफ	एनएफ	**630**
4	डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	पश्चिम बंगाल	1,128	291	286	242	472	**2,419**
5	सिक्किम	सिक्किम	0	0	एनएफ	एनएफ	एनएफ	
	कुल पूर्वी क्षेत्र		**1,769**	**1,279**	**608**	**868**	**1,078**	**5,602**
e.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**							
1	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	शून्य	एनएफ	**0**
2	एईजीसीएल	असम	64	49	24	7	34	**177**
3	मणिपुर	मणिपुर	0	0	एनएफ	एनएफ	83	**83**
4	एमईपीटीसीएल	मेघालय	31	218	एनएफ	शून्य	एनएफ	**249**
5	मिजोरम	मिजोरम	0	9	25	शून्य	एनएफ	**35**
6	नागालैंड	नागालैंड	0	14	47	शून्य	एनएफ	**62**
7	त्रिपुरा	त्रिपुरा	95	0	0	शून्य	7	**102**
	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र		**190**	**290**	**97**	**7**	**124**	**708**
	कुल राज्य क्षेत्र		**17,422**	**17,073**	**13,870**	**13,021**	**12,150**	**73,536**
	कुल अखिल भारतीय		**41,932**	**42,912**	**39,735**	**29,140**	**23,194**	**1,76,913**
एनएफ: सूचना नहीं दी गई।								

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3592
जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

उपभोक्ताओं को खुदरा बिजली दर

3592. श्री पी.सी. मोहन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों से राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) से अनुरोध करने को कहा है कि वे प्री-पेमेंट मीटरों के माध्यम से बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए खुदरा बिजली दरों को कम करने पर विचार करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की नीति कब तक लागू की जाएगी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का ऐसी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को राजसहायता या वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ङ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसी योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को क्या प्रोत्साहन किया जा रहा है;

(च) क्या केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें प्री-पेमेंट मीटर और सहायक अवसंरचना की लागत वहन करेंगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 16.01.2020 के पत्र द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपभोक्ताओं को पूर्व-भुगतान मीटरों के माध्यम से क्रय की गई विद्युत के लिए विद्युत के खुदरा टैरिफ में कमी करने पर विचार करने के लिए अपने सभी संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसीज) से अनुरोध करने को कहा है और यह भी अनुरोध किया है कि किसी भी कंपनी अथवा उपभोक्ता द्वारा अग्रिम

भुगतान/पूर्व-भुगतान की स्थिति में विद्युत की लागत घटाने के लिए संबंधित विनियमों/आदेशों/तंत्र में आवश्यक परिवर्तन कथित पत्र के जारी होने के छः माह के भीतर कार्यान्वित किए जाएं।

(घ) से (छ) : पूर्व-भुगतान मीटरों सहित मीटरों का संस्थापन संबंधित डिस्कॉमों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, भारत सरकार भी पूर्व-भुगतान रूप में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना के लिए राज्यों को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियां भी प्रदान कर रही है। इस समय, भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत और साथ ही विभिन्न राज्य यूटीलिटियों द्वारा स्वयमेव प्री-पेड मोड में स्मार्ट मीटर संस्थापित किए जा रहे हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) और 3,03,758 करोड़ रूपये के परिव्यय तथा केन्द्र सरकार से 97,631 करोड़ रूपये की अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के साथ दिनांक 20.07.2021 को अधिसूचित "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीमः (आरडीएसएस)" के अंतर्गत, स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियां प्रदान कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत पात्र डिस्कॉमों (निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को छोड़कर सभी राज्य की स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विद्युत विभाग) को टोटैक्स (कुल व्यय) मोड में उपभोक्ताओं के लिए प्री-पेड स्मार्ट मीटरों की संस्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत, "विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा" के लिए 900 रूपये प्रति उपभोक्ता मीटर अथवा संपूर्ण परियोजना के लिए गणना की गई प्रति उपभोक्ता मीटर लागत के 15%, जो भी कम हो, की निश्चित राशि का निधीयन किया जाएगा। तथापि, "विशेष श्रेणी राज्यों" के मामले में, 1350 रूपये प्रति उपभोक्ता मीटर अथवा संपूर्ण परियोजना के लिए गणना की गई प्रति उपभोक्ता मीटर लागत के 22.5%, जो भी कम हो, की निश्चित राशि प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, दिसम्बर, 2023 तक प्री-पेड स्मार्ट मीटरों को लगाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु, "विशेष श्रेणी राज्यों के अलावा" के लिए संपूर्ण परियोजना के लिए गणना की गई प्रति उपभोक्ता मीटर लागत के 7.5% अथवा 450 रूपये प्रति उपभोक्ता मीटर, जो भी कम हो, का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जबकि "विशेष श्रेणी राज्यों" के लिए संपूर्ण परियोजना के लिए गणना की गई प्रति उपभोक्ता मीटर लागत के 11.25% अथवा 675 रूपये प्रति उपभोक्ता मीटर, जो भी कम हो, का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। शेष लागत का निवेश एएमआईएसपी (उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाता) द्वारा किया जाना है जिसका भुगतान प्रति मीटर प्रति माह आधार पर वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। आम तौर पर, ऐसी सूचना दी गई है कि राजस्व में एएमआईएसपी को भुगतान की गई मासिक धनराशि से अधिक सुधार (प्री-पेड स्मार्ट मीटर की संस्थापना के बाद) हुआ है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3593

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहीत भूमि

3593. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एनटीपीसी, कहलगांव सहित पूरे देश में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहीत भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त भूमि अधिग्रहण के कारण कहलगांव सहित पूरे देश में विस्थापित परिवारों की संख्या कितनी है;

(ख) एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए अपनाई जा रही नीति की प्रकृति क्या है;

(ग) एनटीपीसी द्वारा विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता की प्रकृति क्या है;

(घ) क्या कहलगांव के सभी विस्थापित परिवारों का एनटीपीसी द्वारा पुनर्वास किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो पुनर्वास सूची में प्रतीक्षारत परिवारों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 14.03.2022 तक) के दौरान, विभिन्न एनटीपीसी परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कुल 374.21 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। एनटीपीसी कहलगांव (बिहार) के लिए जिला गोड्डा (झारखंड) में मेरी गो राउंड (एमजीआर) रेलवे लाइन (लगभग 6 किलोमीटर) की रेखाकार परियोजना के लिए वर्ष 2018-19 में 39.93 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी।

एनटीपीसी निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए भारत सरकार के भूमि अधिग्रहण (एलए) अधिनियम/संबंधित राज्यों के अधिनियम(मों) का अनुपालन करती है। एनटीपीसी के अनुरोध पर, भूमि का अधिग्रहण संबंधित जिला/राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

भूमि दर/मुआवजा और पुनर्वास एवं प्रतिस्थापन (आर एंड आर) पैकेज पर निर्णय भारत सरकार के वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम (अर्थात् भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013)/अधिनियमों/संबंधित राज्य सरकारों की नीतियों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार/राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

एनटीपीसी कहलगांव में 39.93 एकड़ भूमि के रेखाकार अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवारों की कुल संख्या 354 है। इन 354 प्रभावित परिवारों में से, एक विस्थापित परिवार सहित कुल 274 परिवारों को गोड्डा के जिला प्रशासन द्वारा यथा निर्धारित आर एंड आर धनराशि दी जा चुकी है। यद्यपि सभी 354 प्रभावित परिवारों के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित धनराशि एनटीपीसी द्वारा गोड्डा जिले के पास जमा कर दी गई है, 80 परिवार पुनर्वास सूची में प्रतीक्षा में हैं क्योंकि उन्हें विभिन्न कारणों जैसे कि पारिवारिक विवाद, अन्य स्थानों के लिए प्रवासन और लंबित दस्तावेजी औपचारिकताओं के कारण आर एंड आर लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3610

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

3610. श्री केसिनेनी श्रीनिवास:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा बिजली उत्पादकों को राज्य-वार अतिदेय राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अतिदेय राशि 11000 करोड़ रूपये से अधिक हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बिजली क्षेत्र की संवहनीयता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों के लिए क्षमता उपयोग (संयंत्र भार कारक) के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का विचार है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ताप विद्युत संयंत्रों में क्षमता उपयोग (संयंत्र भार कारक) में कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता उपयोग (संयंत्र भार कारक) में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत क्षेत्र की उत्पादक कंपनियों द्वारा, फरवरी, 2022 के अंत में, प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार डिस्कॉमों से कुल देय राशि 1,00,931 करोड़ रूपये थी। इसके ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

भारत सरकार ने लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस); विद्युत क्षेत्र के सुधारों से संबद्ध राज्यों के लिए जीएसडीपी के 0.5% की अतिरिक्त उधारी; यूटीलिटियों के निष्पादन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत मानदंडों को समाविष्ट करने; और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) सहित सुधार उपायों से संबद्ध डिस्कॉमों की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करने के लिए अनेक हस्तक्षेप किए हैं।

सरकार ने वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त साख पत्र (एलसी) खोलने और रख-रखाव हेतु लागू करने के लिए दिनांक 28 जून, 2019 को एक आदेश भी जारी किया है। यह आदेश एनएलडीसी एवं आरएलडीसी को, जेनको एवं डिस्कॉम को एलसी खोले जाने की पुष्टि की सूचना देने के बाद ही विद्युत डिस्पैच करना अधिदेशित करता है। इन सुधार उपायों से डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा जिससे लिक्विडिटी की स्थिति सुधरेगी, फलस्वरूप विद्युत उत्पादक कंपनियों (जेनकोज) की देय राशियों में कमी आएगी।

(ग) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2021-22 (फरवरी, 2022 तक) के दौरान देश में 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के ताप विद्युत संयंत्रों से संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) के ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(घ) : ताप विद्युत (कोयला/लिग्नाइट आधारित) स्टेशनों का संयंत्र भार कारक (पीएलएफ)/उत्पादन देश में विद्युत की कुल मांग और जल विद्युत, न्युक्लियर, गैस आदि जैसे विभिन्न अन्य स्रोतों से उत्पादन पर निर्भर करता है। सदैव ही, स्थिर प्रणाली प्रचालन के लिए विद्युत उत्पादन और मांग के मध्य संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन तथा लघु जल विद्युत) को "मस्ट रन स्टेटस" प्रदान किया गया है, अतएव इसका डिस्पैच प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है और आम तौर पर पूर्ण उपयोग होता है। जल विद्युत संयंत्रों से उत्पादन से पानी की उपलब्धता के अनुरूप होता है और इसलिए आम तौर पर पूर्णतया उपयोग किया जाता है।

इस प्रकार, कोयला/लिग्नाइट आधारित संयंत्रों का उपयोग ताप विद्युत स्टेशनों से अपेक्षित शेष उत्पादन और मेरिट ऑर्डर में किसी विशेष संयंत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। अतएव, ताप विद्युत स्टेशन आम तौर पर कम पीएलएफ पर प्रचालित हो रहे हैं। गैस की चल रही कमी के कारण गैस आधारित स्टेशनों का पीएलएफकम है, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त गैस की अनुपलब्धता हो रही है।

इसके अलावा, महामारी के दौरान विद्युत की मांग कम थी और इसलिए वित्त वर्ष 2020-2021 में पीएलएफ कम था। वर्ष 2021-2022 में पुनः खपत होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-2021 से पीएलएफ में और अधिक बढ़त हुई।

(ङ) : विद्युत आपूर्ति की अवधि में वृद्धि से विद्युत की मांग और पीएलएफ में वृद्धि होती है। सरकार ने अनेक पहलें शुरू की हैं, जिनमें रियल टाइम बाजार और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरूआत शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम शुरू की है, जिसमें सुधारों की शुरूआत और परिणाम प्राप्ति से संबद्ध वितरण अवसंरचना के सृजन के लिए राज्यों/डिस्कॉमों को वित्तीय सहायता की अनुमति दी गई है। इन सुधारों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की अवधि में वृद्धि करना शामिल है, जिसके लिए वर्ष 2024-25 तक सुधार हेतु मूल्यांकन के पैरामीटरों में से परस्पर सहमत वार्षिक ट्रेजेक्टरी एक है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3610 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

जेनकोज के प्रति राज्यों का अतिदेय (दिनांक 28.02.22 तक प्राप्ति पोर्टल के अनुसार)

(अतिदेय आंकड़ों में विवादित राशि शामिल नहीं है)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल अतिदेय (करोड़ रूपये)
अरुणाचल प्रदेश	-
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	8
आंध्र प्रदेश	7538
असम	5
पश्चिम बंगाल	527
बिहार	684
चंडीगढ़	78
छत्तीसगढ	121
दिल्ली	557
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	405
गुजरात	337
गोवा	9
हिमाचल प्रदेश	14
हरियाणा	754
जम्मू एवं कश्मीर	6863
झारखंड	3567
केरल	477
कर्नाटक	5240
मेघालय	548
महाराष्ट्र	19278
मणिपुर	45
मध्य प्रदेश	5243
मिजोरम	12
नागालैंड	-
ओडिशा	251
पंजाब	1326
पुद्दुचेरी	24
राजस्थान	10855
सिक्किम	48
तेलंगाना	6889
तमिलनाडु	19442
त्रिपुरा	146
उत्तर प्रदेश	9634
उत्तराखंड	6
कुल	**1,00,931**

(स्रोतः- प्राप्ति पोर्टल)

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3610 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2018-19 से 2021-22 (फरवरी, 2022 तक) के दौरान देश में 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के ताप विद्युत संयंत्रों से प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के ब्यौरे

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक (फरवरी, 2022 तक) राज्य-वार स्टेशन-वार% पीएलएफ विवरण*								
क्षेत्र	राज्य	स्टेशनों का नाम	ईंधन	दिनांक 31.02.2022 को मेगावाट की निगरानी क्षमता	पीएलएफ%			
					2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (फरवरी, 22 तक)*
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	बदरपुर टीपीएस	कोयला	-	38.67	0	-	-
		आईपीसीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	270	25.35	21.15	19.39	8.89
		प्रगति सीसीजीटी-III	प्राकृतिक गैस	1500	27.55	30.24	25.19	24.6
		प्रगति सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	330.4	52.37	52.7	53.06	54.39
		रिठाला सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	108	0	0	0	0
	हरियाणा	फरीदाबाद सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	431.59	15.79	14.64	23.85	3.48
		इंदिरा गांधी एसटीपीपी	कोयला	1500	56.22	29.17	27.81	51.71
		महात्मा गांधी टीपीएस	कोयला	1320	59.66	50.79	42.14	69.52
		पानीपत टीपीएस	कोयला	710	41.93	24.41	19.59	40.45
		राजीव गांधी टी.पी.एस	कोयला	1200	36.65	21.97	15.57	24.48
		यमुना नगर टीपीएस	कोयला	600	63.2	52.01	49.68	45.69
	जम्मू एवं कश्मीर	पंपोर जीपीएस (लिक.)	हाई स्पीडडीजल	175	0	0	0	0
	पंजाब	जीएच टीपीएस (लेह. मोह)	कोयला	920	30.84	11.33	11.24	23.17
		गोइंदवाल साहिब टीपीपी	कोयला	540	51.7	27.68	27.12	39.8
		राजपुरा टीपीपी	कोयला	1400	74.39	71.21	64.84	78.35
		रोपड़ टीपीएस	कोयला	840	18.76	14.25	12.01	20.78
		तलवंडी साबो टीपीपी	कोयला	1980	61.34	50.97	40.19	50.09
	राजस्थान	अंता सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	419.33	14.99	8.2	9.92	3.08
		बारसिंजर लिग्नाट	लिग्नाइट	250	61.97	69.58	66.29	73.74
		छाबड़ा टीपीपी	कोयला	-	83.22	66.39	70.96	-
		छाबड़ा-I पीएच-1 टीपीपी	कोयला	500	-	-	-	55.54
		छाबड़ा-I पीएच-2 टीपीपी	कोयला	500	-	-	-	48.09
		छाबड़ा-द्वितीय टीपीपी	कोयला	1320	-	-	-	46.11
		धौलपुर सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	330	0.72	0	3.82	0
		गिरल टीपीएस	लिग्नाइट	250	-	-	-	0
		जलिपा कपूरदी टीपीपी	लिग्नाइट	1080	70.82	61.93	74.27	74.97
		कालीसिंध टीपीएस	कोयला	1200	52.8	54.34	57.93	66.28
		कवाई टीपीएस	कोयला	1320	65.72	69	74.29	70.31
		कोटा टीपीएस	कोयला	1240	72.92	59.8	47.8	63.2
		रामगढ़ सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	273.8	41.61	30.41	22.68	60.33
		सूरतगढ़ एसटीपीएस	कोयला	1320	0	0	0	0
		सूरतगढ़ टीपीएस	कोयला	1500	54.56	35.6	7.53	25.27
	उत्तर प्रदेश	अनपरा सी टीपीएस	कोयला	1200	78.36	71.53	82.44	77.83
		अनपरा टीपीएस	कोयला	2630	87.42	73.79	66.32	74.56
		औरैया सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	663.36	9.38	7.63	11.83	6.56
		बरखेड़ा टीपीएस	कोयला	90	18.86	11.49	23.36	26.82
		दादरी (एनसीटीपीपी)	कोयला	1820	66.07	40.95	24.82	36.06
		दादरी सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	829.78	22.86	25.41	24.53	11.15
		हरदुआगंज टीपीएस	कोयला	1265	59.28	61.61	40.43	22.98
		खम्भरखेड़ा टी.पी.एस	कोयला	90	17.91	10.1	23.86	26.66
		कुंदरकी टीपीएस	कोयला	90	25.83	15.83	31.28	38.08
		ललितपुर टीपीएस	कोयला	1980	31.42	41.25	42.03	55.8
		मकसूदपुर टीपीएस	कोयला	90	17.92	12.97	24.2	27.17
		मेजा एसटीपीपी	कोयला	1320	0	17.8	58.37	67.47
		ओबरा टीपीएस	कोयला	1094	37.8	38.46	49.03	47.91
		परीछा टीपीएस	कोयला	1140	49.86	38.3	36.82	36.79
		प्रयागराज टीपीपी	कोयला	1980	44.74	52.44	61.98	67.33

		रिहंद एसटीपीएस	**कोयला**	**3000**	86.33	88.64	89.04	84.31
		रोजा टीपीपी चरण-I	**कोयला**	**1200**	41.29	57.3	64.22	57.49
		सिंगरौली एसटीपीएस	**कोयला**	**2000**	84.46	87.27	85.39	81.45
		टांडा टीपीएस	**कोयला**	**1760**	61.53	61.32	59.55	53.32
		ऊंचाहार टीपीएस	**कोयला**	**1550**	71.52	62.62	52.71	59.8
		उतरौला टीपीएस	**कोयला**	**90**	24.87	15.11	33.15	33.52
	उत्तराखंड	गामा सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**225**	20.92	31.82	11.66	20.1
		काशीपुर सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**225**	42.71	68.71	24.96	36.02
पश्चिमी क्षेत्र	**छत्तीसगढ़**	अकलतरा टीपीएस	**कोयला**	**1800**	50.18	65.21	66.43	54.95
		अवंथा भंडारी	**कोयला**	**600**	0	9.18	54.74	67.7
		बाल्को टीपीएस	**कोयला**	**600**	52.66	66.37	71.95	64.17
		बंदाखर टीपीपी	**कोयला**	**300**	81.34	78.26	79.56	81.89
		बरदरा टीपीएस	**कोयला**	**1200**	64.02	61.09	76.8	80.51
		भिलाई टीपीएस	**कोयला**	**500**	78.22	62.52	73.29	78.8
		बिंजकोट टीपीपी	**कोयला**	**600**	27.87	50.92	35.52	34.2
		चकबुरा टीपीपी	**कोयला**	**30**	91.91	89.31	77.77	33.92
		डीएसपीएम टीपीएस	**कोयला**	**500**	87.4	87.61	76.18	88.48
		कसईपल्ली टीपीपी	**कोयला**	**270**	80.35	71.5	59.38	55.86
		कटघोरा टीपीपी	**कोयला**	**35**	0	0	0	0
		कोरबा एसटीपीएस	**कोयला**	**2600**	88.18	86.67	93.66	94.01
		कोरबा-II	**कोयला**	**-**	12.91	0	0	-
		कोरबा-III	**कोयला**	**0**	62.66	62.08	55.36	0
		कोरबा-पश्चिम टीपीएस	**कोयला**	**1340**	80.7	73.91	79.9	74.93
		लारा टीपीपी	**कोयला**	**1600**	0	68.73	59.28	81.17
		मारवा टीपीएस	**कोयला**	**1000**	73.24	49.59	51.85	52.99
		नवापारा टीपीपी	**कोयला**	**600**	58.89	36.56	37.35	11.94
		ओपी जिंदल टीपीएस	**कोयला**	**1000**	38.23	26.66	50.21	57.52
		पथाडी टीपीपी	**कोयला**	**600**	81.68	66.04	86.93	75.83
		रायखेड़ा टीपीपी	**कोयला**	**1370**	46.68	48.46	54.5	72.44
		रतिजा टीपीएस	**कोयला**	**100**	90.61	81.31	55.21	75.54
		सलोरा टीपीपी	**कोयला**	**135**	0	0	0	0
		सीपत एसटीपीएस	**कोयला**	**2980**	91.58	86.07	90.12	81.95
		एसवीपीएल टीपीपी	**कोयला**	**63**	2.25	56.58	0	0
		स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	**कोयला**	**25**	0	0	0	0
		तमनार टीपीपी	**कोयला**	**2400**	39.51	33.77	41.23	43.26
		उचपिंडा टीपीपी	**कोयला**	**1440**	20.27	22.32	38.21	52.04
	गोवा	गोवा सीसीपीपी (लिक.)	**नेफ्था**	**48**	0	0	0	0
	गुजरात	अक्रिमोटा एलआईजी टीपीएस	**लिग्नाइट**	**250**	54.27	33.71	19.87	25.67
		बड़ौदा सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**160**	0	0.9	1.01	0
		भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	**लिग्नाइट**	**500**	0	13.58	27.42	37.83
		डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**1200**	0.01	6.8	10.07	0.25
		धुवरन सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**594.72**	13.44	16.06	31.57	5.62
		एस्सार सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**515**	0	0	0	0
		गांधार सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**657.39**	27.33	7.56	14.4	7.33
		गांधी नगर टीपीएस	**कोयला**	**630**	67.12	30.88	26.54	57.6
		हज़ीरा सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**156.1**	1.77	3.15	28.83	1.93
		हज़ीरा सीसीपीपी एक्स	**प्राकृतिक गैस**	**351**	11.46	18.86	42.5	2.61
		कावास सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**656.2**	43.48	23.99	17.9	4.85
		कच्छ एलआईजी। टीपीएस	**लिग्नाइट**	**150**	47.45	34.67	34.56	39.63
		मुंद्रा टीपीएस	**कोयला**	**-**	59.08	73.49	-	-
		मुंद्रा टीपीएस-I एवं II	**कोयला**	**2640**	-	-	59.21	37.09
		मुंद्रा टीपीएस-III	**कोयला**	**1980**	-	-	69.02	18.79
		मुंद्रा यूएमटीपीपी	**कोयला**	**4000**	76.6	75.41	74.8	26.12
		पेगुथन सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**655**	5.12	0	0	0
		पिपावाव सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**702**	8.03	8.76	44.13	2.48
		साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	**कोयला**	**362**	87.84	72.9	44.27	76.42
		सलाया टीपीपी	**कोयला**	**1200**	0	43.54	38.52	0
		सिक्का प्रतिनिधि। टीपीएस	**कोयला**	**500**	62.24	61.73	41.92	24
		सुजेन सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**1147.5**	62.05	59.56	59.56	46.67
		सूरत एलआईजी। टीपीएस	**लिग्नाइट**	**500**	80.41	76.5	67.94	65.77
		यूकेएआई टीपीएस	**कोयला**	**1110**	71.34	59.29	47.33	49.34
		यूनोसुगेन सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**382.5**	0	59.82	57.57	44.8
		उतरन सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**374**	12.77	22.74	53.83	9.34

		वानकबोरी टीपीएस	**कोयला**	**2270**	64.79	33.98	32.23	54.58
	मध्य प्रदेश	अमरकंटक एक्सटेंशन टीपीएस	**कोयला**	**210**	88.94	91.7	88.74	82.06
		अनूपपुर टीपीपी	**कोयला**	**1200**	63.64	59.46	63.3	72.3
		बीना टीपीएस	**कोयला**	**500**	57.16	57.23	38.5	53.93
		गडरवारा टीपीपी	**कोयला**	**1600**	0	15.33	57.56	54.62
		खरगोन एसटीपीपी	**कोयला**	**1320**	-	0	0	0
		महान टीपीपी	**कोयला**	**1200**	40.88	31.13	27.49	30.52
		निगरी टीपीपी	**कोयला**	**1320**	63.39	54.82	70.11	73.57
		निवारी टीपीपी	**कोयला**	**90**	19.63	33.57	21.59	20.12
		संजय गांधी टी.पी.एस	**कोयला**	**1340**	73.95	56.11	73.4	53.86
		सासन यूएमटीपीपी	**कोयला**	**3960**	94.78	95.85	96.25	93.81
		सतपुरा टीपीएस	**कोयला**	**1330**	64.14	45.16	38.67	28.98
		सिवनी टीपीपी	**कोयला**	**600**	47.58	55.05	69.96	68.16
		श्री सिंगाजी टीपीपी	**कोयला**	**2520**	60.68	39.06	26.86	41.46
		विंध्याचल एसटीपीएस	**कोयला**	**4760**	90.03	85.29	88.73	85.95
	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीएस	**कोयला**	**1350**	34.45	26.95	23.98	74.79
		बेला टीपीएस	**कोयला**	**270**	6.32	0	0	0
		भुसावल टीपीएस	**कोयला**	**1210**	62.23	50.03	45.3	58.41
		बुटीबोरी टीपीपी	**कोयला**	**600**	42.1	0	0	0
		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	**कोयला**	**2920**	61.97	62.49	62.93	57.46
		दहानु टीपीएस	**कोयला**	**500**	82.58	76.22	73.2	75.51
		धारीवाल टीपीपी	**कोयला**	**600**	61.43	64.1	80.46	75.38
		जीईपीएल टीपीपी पीएच-I	**कोयला**	**120**	0	0	0	0
		जीएमआर वरोरा टीपीएस	**कोयला**	**600**	74.11	78.53	74.86	63.58
		जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	**कोयला**	**300**	76.29	74.65	58.97	47.35
		खापरखेड़ा टीपीएस	**कोयला**	**1340**	63.65	61.68	67.56	59.54
		कोराडी टीपीएस	**कोयला**	**2190**	40.09	44.9	40.1	56.63
		मानगांव सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**388**	0	0	0	0
		मौदा टीपीएस	**कोयला**	**2320**	58.45	51.05	32.94	59.95
		मिहान टीपीएस	**कोयला**	**246**	0	0	0	0
		नासिक (पी) टीपीएस	**कोयला**	**1350**	0	0	0	0
		नासिक टीपीएस	**कोयला**	**630**	41.97	42.64	13.36	35.42
		पारस टीपीएस	**कोयला**	**500**	60.01	63.16	76.91	58.02
		परली टीपीएस	**कोयला**	**750**	27.73	25.17	36.65	43.86
		रत्नागिरी सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**1967.08**	25.92	24.68	14.94	18.6
		शिरपुर टीपीपी	**कोयला**	**150**	0	0	0	0
		सोलापुर एसटीपीएस	**कोयला**	**1320**	30.85	7.05	31.01	41.13
		तिरोरा टीपीएस	**कोयला**	**3300**	74.95	80.22	62.44	73.16
		ट्रॉम्बे सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**180**	89.47	71.91	87.62	58.99
		ट्रॉम्बे टीपीएस	**कोयला**	**750**	45.83	54.17	54.59	68.72
		उरण सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**672**	43.74	44.02	34.11	35.62
		वर्धा वरोरा टीपीपी	**कोयला**	**540**	22.25	4.18	43.95	47.84
दक्षिणी क्षेत्र	**आंध्र प्रदेश**	दामोदरम संजीवैया टीपीएस	**कोयला**	**1600**	49.64	50.71	51.57	39.4
		डॉ. एन. टाटा राव टी.पी.एस.	**कोयला**	**1760**	70.61	71.55	54.04	74.06
		गौतमी सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**464**	0	0	0	0
		जीएमआर एनर्जी लिमिटेड - काकीनाडा	**प्राकृतिक गैस**	**220**	0	0	0	0
		गोदावरी सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**208**	62.72	31.03	23.01	12.99
		जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी)	**प्राकृतिक गैस**	**768**	0	0	0	0
		जेगुरुपाडु सीसीपीपी पीएच I	**प्राकृतिक गैस**	**235.4**	40.07	31.73	31.63	24.72
		जेगुरुपाडु सीसीपीपी पीएच II	**प्राकृतिक गैस**	**220**	0	0	0	0
		कोनासीमा सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**445**	0	0	0	0
		कोंडापल्ली सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**368.144**	54.37	24	30.74	12.75
		कोंडापल्ली एक्सटेंशन सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**366**	0	0	0	0
		कोंडापल्ली एसटी-3 सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**742**	0	0	0	0
		एलवीएस पावर डीजी	**डीजल**	**36.8**	0	0	0	0
		पैनमपुरम टीपीपी	**कोयला**	**1320**	72.38	88.86	77.77	80.81
		पेद्दापुरम सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**220**	0	0	0	0
		रायलसीमा टीपीएस	**कोयला**	**1650**	45.92	44.22	16.42	45.38
		एसजीपीएल टीपीपी	**कोयला**	**1320**	84.2	72.48	80.17	64.58
		सिम्हाद्री	**कोयला**	**2000**	71.06	60.62	49.54	63.62
		सिम्हापुरी टीपीएस	**कोयला**	**600**	1.89	0	0	0
		थम्मिनापट्टनम टीपीएस	**कोयला**	**300**	1.39	0	4.83	17.57

		वेमागिरी सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**370**	0	0	0	0
		विजजेश्वरम सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**272**	46.77	42.45	52.89	41.74
		विजाग टीपीपी	**कोयला**	**1040**	10.42	32.42	12.56	2.41
	कर्नाटक	बेल्लारी डीजी	**डीजल**	**25.2**	0	0	0	0
		बेल्लारी टीपीएस	**कोयला**	**1700**	27.26	27.12	20.78	44.19
		कुडगी एसटीपीपी	**कोयला**	**2400**	40.07	21.84	22.41	27.96
		रायचूर टीपीएस	**कोयला**	**1720**	59.19	56.48	26.07	44.25
		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	**कोयला**	**260**	57.93	49.51	44.25	60.98
		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-द्वितीय)	**कोयला**	**600**	47.27	35.36	26.44	36.33
		उडुपी टीपीपी	**कोयला**	**1200**	49.6	31.1	22.36	13.52
		यरमारस टीपीपी	**कोयला**	**1600**	5.64	2.68	24.11	36.94
	केरल	ब्रह्मपुरम डीजी	**डीजल**	**63.96**	0.05	0.02	0	0
		कोचीन सीसीपीपी (लिक.)	**नेफ्था**	**174**	0	0	0	0
		कोझिकोड डीजी	**डीजल**	**96**	0.45	1.42	0.93	0
		आर गांधी सीसीपीपी (लिक.)	**नेफ्था**	**359.58**	0.03	0	3.22	0
	पुद्दुचेरी	कराईकल सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**32.5**	80.74	89.6	81.54	88.91
	तमिलनाडु	बेसिन ब्रिज जीटी (लिक.)	**नेफ्था**	**120**	0	0	0	0
		आईटीपीसीएल टीपीपी	**कोयला**	**1200**	52.75	68.64	45.84	31.29
		करुप्पुर सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**119.8**	61.7	75.57	25.77	18.71
		कोविकलपाल सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**107.88**	33.37	35.23	28.71	16.4
		कुट्टलम सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**100**	46.83	15.24	55.93	42.6
		मेट्टूर टीपीएस	**कोयला**	**840**	78.92	62.6	48.16	65.41
		मेट्टूर टीपीएस - II	**कोयला**	**600**	59.99	49.26	26.99	51.67
		मुथियारा टीपीपी	**कोयला**	**1200**	30.65	33.77	21.85	12.12
		नेवेली (एक्स) टीपीएस	**लिग्नाइट**	**420**	80.17	90.22	75.75	87.78
		नेवेली न्यू टीपीपी	**लिग्नाइट**	**1000**	0	0	0	0
		नेवेली टीपीएस (जेड)	**लिग्नाइट**	**250**	58.92	65.46	40.46	75.06
		नेवेली टीपीएस-I	**लिग्नाइट**	**0**	59.94	61.74	45.39	0
		नेवेली टीपीएस-II	**लिग्नाइट**	**1470**	83.44	80.2	54.01	74.33
		नेवेली तपस-II एक्सप्रेस	**लिग्नाइट**	**500**	44.09	36.74	47.85	48.76
		उत्तर चेन्नई टीपीएस	**कोयला**	**1830**	66.82	56.29	40.29	48.18
		एनटीपीएल तूतीकोरिन टीपीपी	**कोयला**	**1000**	62.63	55.15	60.4	48.34
		पी.नाल्लूर सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**330.5**	0	0	0.07	0
		समालपट्टी डीजी	**डीजल**	**105.7**	0	0	0	0
		समयानल्लूर डीजी	**डीजल**	**106.001**	0	0	0	0
		तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	**कोयला**	**300**	0	0	0	0
		तूतीकोरिन टीपीपी एसटी-IV	**कोयला**	**525**	-	-	-	0
		तूतीकोरिन टीपीएस	**कोयला**	**1050**	68.56	57.5	44.93	54.4
		वैलेंटरवी सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**52.8**	76.29	66.22	46.02	17.05
		वल्लूर टीपीपी	**कोयला**	**1500**	58.65	43.07	33.25	58.2
		वलुथुर सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**186.2**	72.22	79.47	62.42	56.11
	तेलंगाना	भद्राद्री टीपीपी	**कोयला**	**1080**	0	0	0	0
		काकतीय टी.पी.एस	**कोयला**	**1100**	80.19	78.19	65.61	72.58
		कोठागुडेम टीपीएस	**कोयला**	**-**	57.25	62.22	0	-
		कोठागुडेम टीपीएस (नया)	**कोयला**	**1000**	86.12	81.6	72.1	71.29
		कोठागुडेम टीपीएस (चरण-7)	**कोयला**	**800**	93.42	50.92	87.18	82.03
		रामगुंडम एसटीपीएस	**कोयला**	**2600**	81.44	74.99	73.37	75.88
		रामगुंडम-बी टीपीएस	**कोयला**	**62.5**	77.27	72.51	52.23	48.43
		सिंगरेनी टीपीपी	**कोयला**	**1200**	82.75	87.54	69.87	87.94
पूर्वी क्षेत्र	**अंडमान एवं निकोबार**	तथा। निकोबार डीजी	**डीजल**	**40.048**	34.41	27.34	33.77	32.43
	बिहार	बरौनी टीपीएस	**कोयला**	**710**	2.44	3.67	21.91	38.97
		बारह I	**कोयला**	**660**	0	0	0	0
		बारह II	**कोयला**	**1320**	85.14	70.89	67.49	62.29
		कहलगांव टीपीएस	**कोयला**	**2340**	80.43	80.3	64.55	78.67
		मुजफ्फरपुर टीपीएस	**कोयला**	**390**	56.89	54.21	46.2	54.02
		नबीनगर एसटीपीपी	**कोयला**	**1320**	0	77.56	81.89	79.05
		नबीनगर टीपीपी	**कोयला**	**1000**	60.26	74.18	64.91	76.23
	झारखंड	बोकारो `बी` टीपीएस	**कोयला**	**0**	37.42	5.1	1.01	0
		बोकारो टीपीएस `ए` क्स्प	**कोयला**	**500**	66.68	61.25	74.69	65.82
		चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	**कोयला**	**500**	64.52	61.9	74.63	86.45
		जोजोबेरा टीपीएस	**कोयला**	**240**	72.25	69.46	67.41	75.69
		कोडरमा टीपीपी	**कोयला**	**1000**	71.68	73.54	85.72	77.59

		महादेव प्रसाद एसटीपीपी	**कोयला**	**540**	60.8	63.87	65.82	77.35
		मैथन आरबी टीपीपी	**कोयला**	**1050**	79.02	70.35	69.4	84.14
		तेनुघाट टीपीएस	**कोयला**	**420**	45.91	65.61	60.83	45.64
	ओडिशा	दर्लीपाली एसटीपीएस	**कोयला**	**1600**	0	0	0	78.24
		डेरांग टीपीपी	**कोयला**	**1200**	40.08	49.33	56.47	80.2
		आईबी वैली टीपीएस	**कोयला**	**1740**	83.86	56.57	56.7	65.8
		कमलंगा टीपीएस	**कोयला**	**1050**	72.73	63.59	77.2	81.19
		तालचर (पुराना) टीपीएस	**कोयला**	**0**	89.51	83.61	84.51	0
		तालचर एसटीपीएस	**कोयला**	**3000**	80.83	73.09	83.32	82.99
		उत्कल टीपीपी (इंड बाराठ)	**कोयला**	**350**	0	0	0	0
		वेदांत टीपीपी	**कोयला**	**600**	7.88	5.56	28.86	32.47
	पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर टीपीएस	**कोयला**	**1050**	78.09	75.93	85.85	89.49
		बंदेल टीपीएस	**कोयला**	**330**	44.18	29.67	40.5	58.72
		बज बज टीपीएस	**कोयला**	**750**	91.5	88.01	82.54	84
		डी.पी.एल. टी पी एस	**कोयला**	**550**	42.24	39.6	57.87	53.22
		दिशेरगढ़ टीपीपी	**कोयला**	**12**	-	-	-	0
		दुर्गापुर स्टील टीपीएस	**कोयला**	**1000**	71.84	71.94	65.99	68.91
		दुर्गापुर टीपीएस	**कोयला**	**210**	53.34	23.74	7.38	10.29
		फरक्का एसटीपीएस	**कोयला**	**2100**	80.7	71.19	64.84	66.05
		हल्दिया जीटी (लिक.)	**हाई स्पीड डीजल**	**40**	0	0	0	0
		हल्दिया टीपीपी	**कोयला**	**600**	87.8	84.06	80.38	80.78
		हिरणमय टीपीपी	**कोयला**	**300**	0	0.38	16.51	39.5
		कस्बा जीटी (लिक.)	**हाई स्पीड डीजल**	**40**	0	0	0	0
		कोलाघाट टीपीएस	**कोयला**	**1260**	40.07	25.94	16.03	38.19
		मेजिया टीपीएस	**कोयला**	**2340**	62.17	61.01	62.58	69.99
		रघुनाथपुर टीपीपी	**कोयला**	**1200**	30.52	47.73	49.71	57.19
		सागरदिघी टीपीएस	**कोयला**	**1600**	49.94	47.64	68.47	83.55
		संतालडीह टीपीएस	**कोयला**	**500**	81.11	84.11	78.61	88.42
		दक्षिणी उत्तर टीपीएस	**कोयला**	**135**	24	28.61	7.6	12.82
		टीटागढ़ टीपीएस	**कोयला**	**240**	0	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**असम**	बोंगाईगांव टीपीपी	**कोयला**	**750**	64.44	59.65	45.31	62.74
		कथलगुरी सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**291**	64.31	66.67	61.59	69.97
		लकवा जीटी	**प्राकृतिक गैस**	**97.2**	49.47	41.45	51.75	47.67
		लकवा प्रतिस्थापन विद्युत परियोजना	**प्राकृतिक गैस**	**69.755**	47.11	81.24	78.38	84.09
		नामरूप सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**162.4**	22.26	17.86	15.19	42.09
	मणिपुर	लीमाखोंग डीजी	**डीजल**	**36**	0	0	0	0
	त्रिपुरा	अगरतला जीटी	**प्राकृतिक गैस**	**135**	55.02	68.04	74.42	79.89
		बारामुरा जीटी	**प्राकृतिक गैस**	**42**	33.86	46.77	37.54	61.15
		मोनार्क सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**101**	77	80.42	60.21	80.54
		रोखिया जीटी	**प्राकृतिक गैस**	**95**	42.58	45.88	35.77	40.41
		त्रिपुरा सीसीपीपी	**प्राकृतिक गैस**	**726.6**	74.02	60.87	79.97	63.35
अखिल भारत				**235898.718**	61.07	55.99	54.51	58.01

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3611

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

डिस्कॉम की बकाया राशि

3611. श्री ए. राजा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत वितरण सेवाओं अथवा डिस्कॉमों द्वारा उत्पादन फर्मों (जेनकोस) को दी जाने वाली धनराशि के कुल बकाया का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों और सभी हितधारकों के परामर्श द्वारा प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विनियामक आस्तियों और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) को छोड़कर औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और वसूले गए औसत राजस्व (एआरआर) के बीच अंतर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में सभी डिस्कॉमों के संचित नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए डिस्कॉमों को प्रदान किए जा रहे राहत/पुनर्वास पैकेज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत क्षेत्र की उत्पादक कंपनियों द्वारा, फरवरी, 2022 के अंत में, प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार डिस्कॉमों से कुल देय राशि 1,00,931 करोड़ रूपये है। ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

भारत सरकार ने लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस); विद्युत क्षेत्र के सुधारों से संबद्ध राज्यों के लिए जीएसडीपी के 0.5% की अतिरिक्त उधारी; यूटीलिटियों के निष्पादन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत मानदंडों को समाविष्ट करने; और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) सहित सुधार उपायों से संबद्ध डिस्कॉमों की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करने के लिए अनेक हस्तक्षेप किए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त साख पत्र (एलसी) खोलने और रख-रखाव हेतु लागू करने के लिए दिनांक 28 जून, 2019 को एक आदेश भी जारी किया था। यह आदेश एनएलडीसी एवं आरएलडीसी को, जेनको एवं डिस्कॉम द्वारा एलसी खोले जाने की पुष्टि की सूचना देने के बाद ही विद्युत डिस्पैच करना अधिदेशित करता है। इन सुधार उपायों से डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा जिससे लिक्विडिटी की स्थिति सुधरेगी, फलस्वरूप विद्युत उत्पादक कंपनियों (जेनकोज) कीदेय राशियों में कमी आएगी।

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित "राज्य विद्युत यूटीलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट 2019-20" में उपलब्ध सूचना के आधार पर, टैरिफ सब्सिडी प्राप्ति के आधार पर एसीएस-एआरआर अंतर (विनियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर) और देश में सभी डिस्कॉमों (राज्य-वार) की संचित हानियों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3611 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

जेनकोज के प्रति राज्यों का अतिदेय (प्राप्ति पोर्टल के अनुसार दिनांक 28.02.22 तक की स्थिति)

(अतिदेय आंकड़ों में विवादित राशि शामिल नहीं है)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल अतिदेय (करोड़ रूपये)
अरुणाचल प्रदेश	-
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	8
आंध्र प्रदेश	7538
असम	5
पश्चिम बंगाल	527
बिहार	684
चंडीगढ़	78
छतीसगढ़	121
दिल्ली	557
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	405
गुजरात	337
गोवा	9
हिमाचल प्रदेश	14
हरियाणा	754
जम्मू एवं कश्मीर	6863
झारखंड	3567
केरल	477
कर्नाटक	5240
मेघालय	548
महाराष्ट्र	19278
मणिपुर	45
मध्य प्रदेश	5243
मिजोरम	12
नागालैंड	-
ओडिशा	251
पंजाब	1326
पुद्दुचेरी	24
राजस्थान	10855
सिक्किम	48
तेलंगाना	6889
तमिलनाडु	19442
त्रिपुरा	146
उत्तर प्रदेश	9634
उत्तराखंड	6
कुल	**1,00,931**

(स्रोतः- प्राप्ति पोर्टल)

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3611 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

टैरिफ सब्सिडी प्राप्ति आधार पर एसीएस-एआरआर अंतर (विनियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर)

	2017-18	2018-19	2019-20
	टैरिफ सब्सिडी प्राप्ति आधार पर अंतर (विनियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर)	टैरिफ सब्सिडी प्राप्ति आधार पर अंतर (विनियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर)	टैरिफ सब्सिडी प्राप्ति आधार पर अंतर (विनियामक आय और उदय अनुदान को छोड़कर)
राज्य क्षेत्र	**0.55**	**0.76**	**0.65**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**19.86**	**19.47**	**19.58**
अंडमान और निकोबार पीडी	19.86	19.47	19.58
आंध्र प्रदेश	**0.09**	**2.69**	**0.12**
एपीईपीडीसीएल	0.13	2.44	(0.05)
एपीएसपीडीसीएल	0.07	2.81	0.20
अरुणाचल प्रदेश	**4.64**	**4.27**	**4.92**
अरुणाचल पीडी	4.64	4.27	4.92
असम	**0.28**	**0.02**	**(0.14)**
एपीडीसीएल	0.28	0.02	(0.14)
बिहार	**0.68**	**0.61**	**0.92**
एनबीपीडीसीएल	0.31	0.47	0.57
एसबीपीडीसीएल	0.97	0.73	1.21
चंडीगढ़	**(1.64)**	**(0.26)**	**(0.82)**
चंडीगढ़ पीडी	(1.64)	(0.26)	(0.82)
छत्तीसगढ़	**0.23**	**0.45**	**0.18**
सीएसपीडीसीएल	0.23	0.45	0.18
दादरा और नगर हवेली	**0.01**	**(0.02)**	**(0.03)**
डीएनएचपीडीसीएल	0.01	(0.02)	(0.03)
दमन और दीव	**(1.38)**	**(0.61)**	**(0.30)**
दमन और दीव पीडी	(1.38)	(0.61)	(0.30)
गोवा	**(0.06)**	**0.39**	**0.60**
गोवा पीडी	(0.06)	0.39	0.60
गुजरात	**(0.06)**	**(0.02)**	**(0.05)**
डीजीवीसीएल	(0.06)	(0.02)	(0.07)
एमजीवीसीएल	(0.09)	(0.05)	0.00
पीजीवीसीएल	(0.05)	(0.02)	(0.05)
यूजीवीसीएल	(0.05)	(0.02)	(0.05)
हरियाणा	**(0.08)**	**(0.05)**	**(0.06)**
डीएचबीवीएनएल	(0.04)	(0.03)	(0.04)
यूएचबीवीएनएल	(0.12)	(0.08)	(0.09)
हिमाचल प्रदेश	**0.03**	**(0.09)**	**(0.02)**
एचपीएसईबीएल	0.03	(0.09)	(0.02)
जम्मू और कश्मीर	**1.85**	**1.72**	**2.03**
जेकेपीडीडी	1.85	1.72	2.03
झारखंड	**0.16**	**0.58**	**1.35**
जेबीवीएनएल	0.16	0.58	1.35
कर्नाटक	**0.36**	**0.68**	**0.37**
बेसकॉम	(0.08)	0.70	0.57
चेसकॉम	0.65	0.25	0.26
गेसकॉम	0.51	0.47	0.75
हेसकॉम	1.20	1.33	(0.17)
मेसकॉम	0.40	(0.11)	0.13
केरल	**0.32**	**0.05**	**0.10**
केएसईबीएल	0.32	0.05	0.10
लक्षद्वीप	**19.11**	**20.30**	**18.22**
लक्षद्वीप ईडी	19.11	20.30	18.22
मध्य प्रदेश	**0.88**	**1.39**	**0.79**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	1.30	1.93	0.96
एमपीपीएकेवीवीसीएल	0.21	0.58	0.11
एमपीपीओकेवीवीसीएल	1.19	1.73	1.41

महाराष्ट्र	**0.31**	**(0.16)**	**0.53**
एमएसईडीसीएल	0.31	(0.16)	0.53
मणिपुर	**(0.02)**	**1.29**	**1.64**
एमएसपीडीसीएल	(0.02)	1.29	1.64
मेघालय	**1.16**	**0.85**	**1.81**
एमईपीडीसीएल	1.16	0.85	1.81
मिजोरम	**(1.30)**	**1.18**	**(1.94)**
मिजोरम पीडी	(1.30)	1.18	(1.94)
नागालैंड	**0.81**	**4.09**	**5.62**
नागालैंड पीडी	0.81	4.09	5.62
ओडिशा	**0.32**	**0.60**	**0.34**
सेसु	0.59	0.49	0.41
नेस्को यूटिलिटी	0.15	0.00	0.26
साउथको यूटिलिटी	0.54	0.58	0.97
वेसकोयूटिलिटी	0.03	1.18	0.04
पुदुचेरी	**(0.02)**	**0.13**	**0.97**
पुडुचेरी पीडी	(0.02)	0.13	0.97
पंजाब	**0.50**	**(0.05)**	**0.17**
पीएसपीसीएल	0.50	(0.05)	0.17
राजस्थान	**1.49**	**1.50**	**1.49**
एवीवीएनएल	1.51	1.53	0.74
जेडीवीवीएनएल	1.77	1.78	2.31
जेवीवीएनएल	1.25	1.24	1.29
सिक्किम	**0.25**	**0.02**	**0.54**
सिक्किम पीडी	0.25	0.02	0.54
तमिलनाडु	**1.43**	**1.88**	**2.09**
टैंजेडको	1.43	1.88	2.09
तेलंगाना	**1.17**	**1.45**	**1.09**
टीएसएनपीडीसीएल	1.29	1.85	0.80
टीएसएसपीडीसीएल	1.12	1.27	1.22
त्रिपुरा	**(0.09)**	**(0.06)**	**0.43**
टीएसईसीएल	(0.09)	(0.06)	0.43
उत्तर प्रदेश	**0.47**	**0.59**	**0.45**
डीवीवीएनएल	0.95	1.09	0.46
केस्को	(0.17)	1.29	0.65
एमवीवीएनएल	0.21	0.38	0.29
पीएवीवीएनएल	0.44	0.39	0.31
पीयूवीवीएनएल	0.36	0.45	0.74
उत्तराखंड	**0.18**	**0.55**	**0.21**
यूपीसीएल	0.18	0.55	0.21
पश्चिम बंगाल	**0.22**	**0.28**	**0.42**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	0.22	0.28	0.42
निजी क्षेत्र	**(0.35)**	**(0.26)**	**(0.17)**
दिल्ली	**(0.07)**	**(0.21)**	**0.20**
बीआरपीएल	(0.01)	(0.25)	0.36
बीवाईपीएल	0.43	(0.16)	0.41
टीपीडीडीएल	(0.50)	(0.21)	(0.17)
गुजरात	**(0.50)**	**(0.26)**	**(0.52)**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	(0.49)	(0.28)	(0.58)
टोरेंट पावर सूरत	(0.54)	(0.22)	(0.38)
महाराष्ट्र		**(0.01)**	**(0.42)**
एईएमएल		(0.01)	(0.42)
उत्तर प्रदेश	**(1.77)**	**(0.90)**	**(0.83)**
एनपीसीएल	(1.77)	(0.90)	(0.83)
पश्चिम बंगाल	**(0.74)**	**(0.52)**	**(0.49)**
सीईएससी	(0.77)	(0.55)	(0.52)
आईपीसीएल	(0.26)	(0.10)	(0.06)
कुल जोड़	**0.50**	**0.70**	**0.60**

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3611 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में सभी डिस्कॉमों (राज्य-वार) की संचित हानियां

	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
राज्य क्षेत्र	**(444,106)**	**(492,360)**	**(522,869)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**-**	**-**	**-**
अंडमान और निकोबार पीडी	-	-	-
आंध्र प्रदेश	**(16,822)**	**(29,147)**	**(29,143)**
एपीईपीडीसीएल	(3,330)	(7,974)	(7,971)
एपीएसपीडीसीएल	(13,492)	(21,173)	(21,172)
अरुणाचल प्रदेश	**-**	**-**	**-**
अरुणाचल पीडी	-	-	-
असम	**(2,975)**	**(2,956)**	**(2,753)**
एपीडीसीएल	(2,975)	(2,956)	(2,753)
बिहार	**(9,244)**	**(12,258)**	**(15,206)**
एनबीपीडीसीएल	(2,768)	(3,888)	(5,171)
एसबीपीडीसीएल	(6,477)	(8,370)	(10,035)
चंडीगढ़	**-**	**-**	**-**
चंडीगढ़ पीडी	-	-	-
छत्तीसगढ़	**(6,275)**	**(6,318)**	**(7,290)**
सीएसपीडीसीएल	(6,275)	(6,318)	(7,290)
दादरा और नगर हवेली	**115**	**129**	**140**
डीएनएचपीडीसीएल	115	129	140
दमन और दीव	**-**	**-**	**-**
दमन और दीव पीडी	-	-	-
गोवा	**-**	**-**	**-**
गोवा पीडी	-	-	-
गुजरात	**923**	**988**	**1,336**
डीजीवीसीएल	521	534	621
एमजीवीसीएल	344	356	392
पीजीवीसीएल	(201)	(172)	(20)
यूजीवीसीएल	259	270	343
हरियाणा	**(29,590)**	**(29,309)**	**(28,978)**
डीएचबीवीएनएल	(13,790)	(13,695)	(13,581)
यूएचबीवीएनएल	(15,800)	(15,614)	(15,396)
हिमाचल प्रदेश	**(1,535)**	**(1,532)**	**(1,505)**
एचपीएसईबीएल	(1,535)	(1,532)	(1,505)
जम्मू और कश्मीर	**-**	**-**	**-**
जेकेपीडीडी	-	-	-
झारखंड	**(4,521)**	**(5,272)**	**(6,258)**
जेबीवीएनएल	(4,521)	(5,272)	(6,258)
कर्नाटक	**(4,725)**	**(3,794)**	**(5,645)**
बेसकॉम	(194)	(148)	(1)
चेसकॉम	(666)	(876)	(1,242)
गेसकॉम	(1,350)	(1,002)	(1,995)
हेसकॉम	(2,646)	(1,956)	(2,638)
मेसकॉम	131	188	231
केरल	**(9,777)**	**(11,239)**	**(12,104)**
केएसईबीएल	(9,777)	(11,239)	(12,104)
लक्षद्वीप	**-**	**-**	**-**
लक्षद्वीप ईडी	-	-	-
मध्य प्रदेश	**(43,733)**	**(51,061)**	**(52,978)**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	(18,115)	(21,962)	(23,237)
एमपीपीएकेवीवीसीएल	(10,846)	(11,421)	(10,492)
एमपीपीओकेवीवीसीएल	(14,772)	(17,678)	(19,249)
महाराष्ट्र	**(26,887)**	**(25,791)**	**(25,484)**

एमएसईडीसीएल	(26,887)	(25,791)	(25,484)
मणिपुर	**(85)**	**(129)**	**(137)**
एमएसपीडीसीएल	(85)	(129)	(137)
मेघालय	**(1,779)**	**(1,982)**	**(2,397)**
एमईपीडीसीएल	(1,779)	(1,982)	(2,397)
मिजोरम	**-**	**-**	**-**
मिजोरम पीडी	-	-	-
नागालैंड	**-**	**-**	**-**
नागालैंड पीडी	-	-	-
ओडिशा	**(4,929)**	**(6,308)**	**(7,152)**
सेसु	(3,647)	(3,914)	(4,249)
नेस्को यूटिलिटी	(305)	(308)	(451)
साउथको यूटिलिटी	(553)	(765)	(1,101)
वेसकोयूटिलिटी	(424)	(1,321)	(1,351)
पुदुचेरी	**(435)**	**(471)**	**(772)**
पुडुचेरी पीडी	(435)	(471)	(772)
पंजाब	**(6,963)**	**(7,001)**	**(8,159)**
पीएसपीसीएल	(6,963)	(7,001)	(8,159)
राजस्थान	**(92,460)**	**(89,854)**	**(86,868)**
एवीवीएनएल	(29,485)	(29,019)	(28,230)
जेडीवीवीएनएल	(31,009)	(29,775)	(29,765)
जेवीवीएनएल	(31,967)	(31,060)	(28,872)
सिक्किम	**-**	**-**	**-**
सिक्किम पीडी	-	-	-
तमिलनाडु	**(75,272)**	**(87,895)**	**(99,860)**
टैंजेडको	(75,272)	(87,895)	(99,860)
तेलंगाना	**(28,209)**	**(36,231)**	**(42,293)**
टीएसएनपीडीसीएल	(8,814)	(11,869)	(12,984)
टीएसएसपीडीसीएल	(19,395)	(24,362)	(29,309)
त्रिपुरा	**(441)**	**(423)**	**(513)**
टीएसईसीएल	(441)	(423)	(513)
उत्तर प्रदेश	**(75,829)**	**(81,342)**	**(85,153)**
डीवीवीएनएल	(25,379)	(27,310)	(27,939)
केस्को	(3,122)	(3,569)	(3,800)
एमवीवीएनएल	(14,007)	(14,858)	(15,518)
पीएवीवीएनएल	(14,936)	(16,227)	(17,295)
पीयूवीवीएनएल	(18,386)	(19,379)	(20,602)
उत्तराखंड	**(2,569)**	**(3,122)**	**(3,699)**
यूपीसीएल	(2,569)	(3,122)	(3,699)
पश्चिम बंगाल	**(87)**	**(43)**	**3**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	(87)	(43)	3
निजी क्षेत्र	**13,047**	**14,206**	**15,453**
दिल्ली	**2,959**	**3,152**	**3,972**
बीआरपीएल	437	729	1,040
बीवाईपीएल	212	384	603
टीपीडीडीएल	2,310	2,039	2,330
गुजरात	**93**	**660**	**947**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	177	705	836
टोरेंट पावर सूरत	(84)	(45)	110
महाराष्ट्र		**(21)**	**(31)**
एईएमएल		(21)	(31)
उत्तर प्रदेश	**775**	**878**	**945**
एनपीसीएल	775	878	945
पश्चिम बंगाल	**9,219**	**9,536**	**9,620**
सीईएससी	9,063	9,365	9,620
आईपीसीएल	157	171	-
कुल जोड़	**(431,059)**	**(478,153)**	**(507,416)**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3664

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

मंत्रालयों में सेवार्थ लगाए गए इलेक्ट्रिक वाहन

3664. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो क्या विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में सभी मंत्रालयों को अधिसूचित किया है;

(ख) मंत्रालयों और अन्य कार्यालयों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विभाग-वार कुल कितने वाहन लगाए गए हैं;

(ग) संशोधित (हाइब्रिड) और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना (फेम) के चरण-II के अनुसार तिपहिया और इलेक्ट्रिक बसों के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा की गई समग्र मांग से संबंधित स्थिति क्या है;

(घ) धनराशि की कमी के कारण सेवा में न लगाए गए वाहनों की ईईएसएल द्वारा बताई गई स्मग्र संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए किफायती वित्तपोषण दरों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा पुनः प्रतिरूपित फेम चरण-II योजना का अनुपालन और सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में बदलने के निर्णय को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ज) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में अगले तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों से परिवर्तनीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संबंधी पहल में शामिल होने और उनके संबंधित विभागों को अपने सरकारी वाहनों के काफिले के वर्तमान आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) आधारित वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की सलाह देने का अनुरोध किया है।

(ख) : दिनांक 04.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाहनों की कुल संख्या और इन वाहनों में से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या **अनुबंध** में दर्शाई गई है।

(ग) : एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सीईएसएल (कंवर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड) के माध्यम से, भारत में 9 प्रमुख शहरों (40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले) में प्रचालन व्यय (ओपेक्स) आधार पर तैनाती के लिए 5,450 बसों की समग्र मांग के लिए राज्य परिवहन यूटीलिटियों (एसटीयू), राज्य सरकारों, मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम), नीति आयोग आदि के साथ परामर्श किया। सीईएसएल ने ई-बसों के संचयन के लिए 20 जनवरी, 2022 को एकीकृत निविदा प्रसारित की थी। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स (ई3डब्ल्यू) के संबंध में, सीईएसएल ने संशोधित फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफेक्चरिंग ऑफ (हाईब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएएमई) चरण-II स्कीम के अनुसार एक लाख ई3डब्ल्यू के लिए समग्र मांग हेतु निविदा प्रसारित की है। ई3डब्ल्यू के संचयन के परिणामस्वरूप खुदरा हिस्से की तुलना में मूल्य में 22% तक की कमी हुई है।

(घ) और (ङ) : ईईएसएल को सीईएसएल के माध्यम से केन्द्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों से 930 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलरों (ई4डब्ल्यूएस) की समग्र मांग प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 25,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलरों को संचित किया गया है। साथ ही, सीईएसएल ने विभिन्न श्रेणियों के 82,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलरों की मांग संचित की है। ईईएसएल ने यह निर्णय लिया है कि वह केवल मांग का ही संचयन करेगी और ईवीज के किसी भी प्रकार के वित्तपोषण में शामिल नहीं होगी।

(च) से (ज) : भारी उद्योग मंत्रालय कुल 10,000 करोड़ रूपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफेक्चरिंग ऑफ (हाईब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चरण-II का प्रबंध कर रहा है। यह चरण सार्वजनिक एवं सहभागी परिवहन के विद्युतीकरण को सहायता देने पर केन्द्रित है और इसका उद्देश्य 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलरों, 55,000 ई-4 व्हीलर यात्री कारों तथा 10 लाख ई-2 व्हीलरों को सब्सिडी के माध्यम से सहायता देना है। इसके अलावा, विद्युत वाहनों के पारिस्थिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया स्कीम में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

i. 3डब्ल्यू ईवी की अपफ्रंट लागत को वहनीय स्तर तक लाने और आईसीई 3 व्हीलरों के बराबर करने के लिए संचयन किया जाना एक प्रमुख विधि होगा।
ii. इलेक्ट्रिक बसों के लिए 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर (मुम्बई, दिल्ली, बेंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत तथा पुणे) ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र हैं।
iii. इलेक्ट्रिक 2 व्हीलरों के लिए, मांग प्रोत्साहन @15000/-रू प्रति केडब्ल्यूएच होगा।
iv. इलेक्ट्रिक 2 व्हीलरों के लिए प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा वाहन की लागत का 40% की होगी। स्कीम की रि-मॉडलिंग के बाद ई-2डब्ल्यू की साप्ताहिक बिक्री पूर्ववर्ती @2,000 प्रति माह ई-2डब्ल्यू की बिक्री से बढ़कर मार्च, 22 माह में @9,000 से अधिक हो गई हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3664 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

मंत्रालयों और अन्य कार्यालयों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और विभाग-वार तैनात वाहनों की कुल संख्या [दिनांक 04.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार]

क्र.सं.	सरकारी एजेंसी/विभाग	सरकार द्वारा उपयोग में आने वाले वाहनों की कुल संख्या	सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों में से विद्युत वाहनों की संख्या
1	स्वायत्त निकाय	37,573	755
2	केंद्र सरकार	98,461	578
3	सरकारी उपक्रम	1,64,748	1273
4	स्थानीय प्राधिकरण	29,083	1352
5	पुलिस विभाग	16,117	3
6	राज्य सरकार	3,86,758	1237
7	राज्य परिवहन निगम/विभाग	1,14,804	186
	कुल योग	**8,47,544**	**5384**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के केंद्रीकृत वाहन 4 पोर्टल के अनुसार दिए गए विवरण डिजीटल वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3670
जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

बिजली की मांग और आपूर्ति

3670. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या व्यस्ततम समय और गैर-व्यस्ततम समय के दौरान बिजली का मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप देश के अधिकांश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में, विशेषकर महाराष्ट्र में, बिजली की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) महाराष्ट्र राज्य में विकसित की जा रही प्रमुख विद्युत परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : महाराष्ट्र राज्य सहित देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्धता है। दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 395.6 गीगावाट है जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष के दौरान अनुभव की गई व्यस्ततम मांग केवल 203 गीगावाट थी।

चालू वर्ष (फरवरी, 2022 तक) के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति, ऊर्जा एवं व्यस्ततम दोनों रूपों में, के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) : महाराष्ट्र राज्य सहित देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपाय **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(घ) : महाराष्ट्र राज्य में विकसित की जा रही प्रमुख परंपरागत विद्युत परियोजनाओं के साथ उनकी अनुमानित लागत एवं स्थान-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(i) ताप विद्युत: महाराष्ट्र राज्य में भुसावल टीपीएस (1X660 मेगावाट) निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजना है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

स्थान/जिला	**कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी**	**एलओए तारीख**	**यूनिट सं.**	**क्षमता (मेगावाट)**	**प्रत्याशित ट्राइल रन**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**
जलगांव	**महाजेनको**	**जनवरी, 2018**	**यू-6**	**660**	**जून, 2023**	**4550.98**

महाराष्ट्र राज्य में पांच ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे, जहां कार्य रूका हुआ है/कमीशन होने की संभावना नहीं है, **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

(ii) जल विद्युत: सतारा जिले में एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना नामतः कोयना लेफ्ट बैंक पीएसपी (80 मेगावाट) जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्यान्वयनाधीन है। परियोजना जुलाई, 2015 से रुकी हुई है क्योंकि परियोजना पर वर्तमान व्यय लगभग मूल प्रशासनिक अनुमोदित लागत स्तर (मूल अनुमोदित लागत: विद्युत घटक के लिए 245.02 करोड़ रुपये) तक पहले ही पहुंच गया है और अब महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना को निजी क्षेत्र को निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर अवार्ड करने की योजना बनाई है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3670 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

चालू वर्ष (फरवरी, 2022 तक) के दौरान, विद्युत आपूर्ति की स्थिति, ऊर्जा एवं व्यस्ततम दोनों रूपों में, के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

वर्ष 2021-22 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अनंतिम)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2021- फरवरी, 2022				अप्रैल, 2021- फरवरी, 2022			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम मांग की पूर्ति	पूर्ति नहीं गई व्यस्ततम मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,498	1,498	0	0.0	426	426	0	0.0
दिल्ली	28,867	28,861	6	0.0	7,323	7,323	0	0.0
हरियाणा	51,068	50,879	189	0.4	12,120	12,120	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	11,080	11,053	27	0.2	2,030	2,030	0	0.0
जम्मू व कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	18,097	16,718	1,380	7.6	3,076	2,826	250	8.1
पंजाब	58,328	57,924	404	0.7	13,556	13,431	125	0.9
राजस्थान	81,625	81,215	410	0.5	15,784	15,784	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,18,536	1,17,441	1,095	0.9	24,965	24,795	170	0.7
उत्तराखंड	14,120	14,049	70	0.5	2,468	2,468	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	**3,83,220**	**3,79,639**	**3,581**	**0.9**	**73,305**	**72,935**	**370**	**0.5**
छत्तीसगढ़	28,654	28,620	34	0.1	4,878	4,870	8	0.2
गुजरात	1,12,485	1,12,127	358	0.3	19,451	19,431	20	0.1
मध्य प्रदेश	78,365	78,319	46	0.1	15,917	15,917	0	0.0
महाराष्ट्र	**1,55,819**	**1,55,819**	**0**	**0.0**	**26,307**	**26,307**	**0**	**0.0**
दमन एवं दीव	2,362	2,353	9	0.4	371	369	2	0.4
दादरा नगर हवेली	6,241	6,237	4	0.1	875	875	0	0.0
गोवा	4,032	4,026	6	0.1	646	646	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**3,87,957**	**3,87,499**	**458**	**0.1**	**64,608**	**64,608**	**0**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	61,539	61,415	124	0.2	11,570	11,570	0	0.0
तेलंगाना	62,462	62,452	10	0.0	13,622	13,595	27	0.2
कर्नाटक	64,396	64,382	14	0.0	14,674	14,674	0	0.0
केरल	23,953	23,946	7	0.0	4,261	4,235	26	0.6
तमिलनाडु	99,259	99,250	9	0.0	16,541	16,519	21	0.1
पुद्दुचेरी	2,633	2,633	0	0.0	465	465	0	0.0
लक्षद्वीप#	50	50	0	0.0	11	11	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**3,14,241**	**3,14,077**	**164**	**0.1**	**58,430**	**58,430**	**0**	**0.0**
बिहार	33,265	32,877	388	1.2	7,154	6,490	664	9.3
डीवीसी	21,650	21,647	3	0.0	3,309	3,309	0	0.0
झारखंड	10,090	9,641	449	4.4	1,850	1,625	226	12.2
ओडिशा	34,757	34,753	4	0.0	5,643	5,643	0	0.0
पश्चिम बंगाल	49,002	48,951	51	0.1	9,089	9,087	2	0.0
सिक्किम	550	550	0	0.0	133	133	0	0.0
अंडमान एवं निकोबार#	308	300	8	2.5	60	60	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	**1,49,314**	**1,48,420**	**895**	**0.6**	**26,019**	**25,145**	**874**	**3.4**
अरुणाचल प्रदेश	791	791	1	0.1	197	168	29	14.7
असम	9,960	9,941	19	0.2	2,126	2,121	5	0.2
मणिपुर	931	930	1	0.1	258	258	0	0.0
मेघालय	2,057	2,043	13	0.7	408	408	0	0.0
मिजोरम	601	589	12	1.9	169	156	13	7.7
नागालैंड	787	786	1	0.1	173	153	20	11.7
त्रिपुरा*	1,455	1,455	0	0.0	328	327	1	0.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**16,581**	**16,535**	**47**	**0.3**	**3,427**	**3,360**	**67**	**1.9**
अखिल भारतीय	**12,51,314**	**12,46,170**	**5,144**	**0.4**	**2,03,014**	**2,00,539**	**2,475**	**1.2**

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।

*बांग्लादेश को निर्यातित ऊर्जा छोड़कर।

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटियों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है। मेगावाट के आंकड़े निकटतम इकाई स्थान पर राउंड ऑफ किए गए हैं।

****

<u>अनुबंध-II</u>

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3670 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

महाराष्ट्र राज्य सहित देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. देश में कुल 28,460 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

ii. इस समय, देश में कुल 12,663.5 मेगावाट की 36 वृहत जल-विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) हैं जो कार्यान्वयनाधीन हैं। इनमें से, कुल 11,427.5 मेगावाट की 27 परियोजनाएं सक्रिय रूप से निर्माणाधीन हैं।

iii. 8700 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और 7,000 मेगावाट क्षमता की परमाणु विद्युत परियोजनाओं को प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3670 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

महाराष्ट्र राज्य में पांच ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे जहां कार्य रूका हुआ है/कमीशन होने की संभावना नहीं है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ कार्यान्वयकर्ता एजेंसी/ईपीसी अथवा बीटीजी	स्थान/जिला	एलओए तारीख	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट) में	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1.	अमरावती टीपीपी फेज-II/रतन इंडिया पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	अमरावती	अक्तूबर 2010	यू-1	270	6646
				यू-2	270	
				यू-3	270	
				यू-4	270	
				यू-5	270	
2.	नासिक टीपीपी फेज-II / रतन इंडिया नासिक पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	नासिक	नवंबर 2009	यू-1	270	6789
				यू-2	270	
				यू-3	270	
				यू-4	270	
				यू-5	270	
3.	लैंको विदर्भ टीपीपी/एलवीपी प्रा. लि. ईपीसी-लैंको /बॉयलर-डोंगफांग चीन/टर्बाइन-हार्बिन चीन	वर्धा	नवंबर 2009	यू-1	660	10433
				यू-2	660	
4.	बिजोरा घनमुख टीपीपी/जिनभुविश पावर जेनरेशन प्रा.लि./बीटीजी-सीडब्ल्यूपीसी, चीन	यवतमाल	सितंबर 2011	यू-1	300	3450
				यू-2	300	
5.	शीरपुर टीपीपी, शीरपुर पावर प्रा.लि./ बीटीजी-भेल	धुले	नवंबर 2011	यू-2	150	2413
					4770	

****